



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224379
CG-DL-E-14012021-224379

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/ पौष 23, 1942

No. 104]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

का.आ. 124(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 66(अ.), दिनांक 7 जनवरी, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान और चार निकटस्थ संरक्षित क्षेत्र अर्थात्, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरींजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में मुन्नार वन्यजीव संभाग में ईडुक्की जिला के देवीकुलम तालुक/ तहसील में स्थित है। सम्मिलित पांच संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 264.643 वर्ग किलोमीटर है;

और, इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी पश्चिमी घाटों के उच्च श्रेणी (कन्नन देवन पहाड़ी) में पश्चिमी घाट का भाग है और 10° 05' उ - 10° 20' अक्षांश और 77° 0' - 77° 10' पू देशांतर के बीच स्थित है और इसका क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है; राष्ट्रीय उद्यान 725-750 विशिष्ट की अनुमानित जनसंख्या के साथ लुप्तप्राय नीलगिरि तहर (नीलगिरिट्रागस हयलोक्रिस) की सबसे लाभप्रद जनसंख्या रखता है। इस महत्व को समझते हुए, केरल सरकार ने जी.ओ.सं.8907/एफएम/375/एडी दिनांक 31 मार्च, 1975, द्वारा 1975 में क्षेत्र को इरावीकुलम- राजामाला वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया, बाद में इसे जी.ओ (एमएस) 142/78 दिनांक 19 मई, 1978, 1978 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त करने वाला केरल में पहला संरक्षित क्षेत्र है; और राष्ट्रीय उद्यान मुख्य ताजे जल निकायों जैसे पूर्व-बहाव पम्बार नदी और पश्चिम-बहाव पेरियार का जलग्रहण क्षेत्र है जो कि इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण महत्व को जोड़ता है;

और, इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थानिक, लुप्तप्राय वनस्पति और जीवजंतु की बृहत् और विविध श्रेणी का वास भी है। वनस्पति विविधता में 'नीलाकुरीजी' (स्ट्रोबीलनथेस कुन्थियाना) शामिल है, जो कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार खिलता है और वनस्पति की अन्य प्रजातियां जैसे महोनिया लेस्वेनाउलटिया (मुल्लुमनजानाथी), हायपेरिकम मायसोरेसे (अवारामकोला), रोडोडेंड्रन अरबोरुम्सस्प नीलगिरिकम (कट्टुपूवारासु), रूबुस इल्लीप्टिकस (मुल्लीप्पाजहाम), ड्रोसेरा पेल्टाटा (कोसुवेट्टिपुल्लु), मैसिया इंडिका (कट्टुविज्ञाल), डिड्यमोकाकारपूस टोमेंटोसा (कालथामारा), गनिडिया गलाउका (नांजु), अलनुस नेपालेंसिस (थेपेट्टिमारा), इयरया निटिडा (कट्टुकाराना), सिन्नामोमम सल्फेराटेम (काट्टुकुरूवा), स्ट्रोबिलांथेस लुरिडुस (मुट्टाकानीकुरिंजी), है और जीवजंतु विविधता में प्रजातियां जैसे एलिफस मैक्सीमूस (एशियाई हाथी), मुनटीक्स मुनतजक (मुंजक), पैराडोक्स्यूरस जेरडोनी (ब्राउन पाम सीविट), बोस गौरस (गौर), हिस्ट्रीक्स इंडिका (भारतीय क्रस्टेड साही), फेलिस चाउस (जंगली बिल्ली), पैथेरा पार्डस (तेंदुआ), प्रिओनेलीयूरस बंगलेन्सिस (तेंदुआ बिल्ली), रूसा यूनीक्लोर (सांभर हिरण), हर्पेस्टे सविट्टिकोल्लिस (स्ट्राइप-नेकड नेवला), पैथेरा टाइगरिस (बाघ), नीलगिरि ट्रेगुशीलोक्रीयस (नीलगिरि तहर), आदि शामिल हैं;

और, इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान की दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय (आरईटी) प्रजातियां अनाफलिस बोउर्नेया, हेडयोटिस अरटिकुलारिस स्पा अरटिकुलारिस, कम्पानुला अलफोन्सिस, क्रोटालारिया फयसोनि, एक्साकम अटरोपुरपुरेयम, हबेनारिया बर्नेसिस, इम्माटिंडिस कोइट्रोपिस (बालसम), लम्पाटिंडिस पांडाटा (बालसम), रहोडोडेंड्रन अरबोरेयम स्प नीलगिरिक्कुम, (कट्टुपूवारासु) सोनेरिला पुलनेयेंसिस, ट्राचयपिथेकुस जोहनि (नीलगिरि लंगूर), मार्टेस ग्वारटकिंसि (नीलगिरी मार्टेन), पेन्थेरा प्रड्यूस (तेंदुआ), एलिफस मैक्सीमूस (एशियाई हाथी), नीलगिरितरागुस हायलोक्रीयस (नीलगिरितहर), पैथेरा टाइगरिस (बाघ), कुनालपिनस (जंगली कुत्ता), मेलर्सस अरसिनस (रीछ), रूसा यूनीक्लोर (सांभर हिरण), बोस गौरस (गौर), कोलुम्बिया इलफिंस्टोनि (नीलगिरि वूड कबूतर), स्चोइनिकोलापलातुरा (ब्रौड टेल्ड ग्रास वारब्ले), अंधुस निलघिरीइंसिस (नीलगिरि पिपिट), फिकिडुला सुबरूबरा (कश्मीर फ्लाइकैचर), आदि हैं; जबकि क्षेत्र से स्थानिक प्रजातियां क्रोटालारिया वालकेरी, कालांचोइ ग्रांडिफ्लोरा हेदयोटिसिस्टयलोसा (थवालाक्कालचेडी), हेदयोटिस बुक्फोलिया, अनाफलिसस्ट्रावानकोरिका, कम्पानुला अल्फोन्सिस, स्वेरटियाकोरयम्बोसा, स्ट्रोबिलांथेस फोलिओसुस, ब्राचयकोरयथिस विघटि, मालाक्सिस डेंसिफ्लोरा, (चोनाप्पुल्लु), चरयसोपोगोन टडुलिनगामि, त्रिपोगोनानाटास्वामिनस, पयकनोटस परिओकेफालुस (ग्रेहेडु बुलबुल), इयम्यिअसाबलि कौडाटा (नीलगिरि फ्लाइकैचर), नेकटरिनिया मिनिमा (क्रिमसन-बैक्रेड सनबर्ड), सलेया अनामाल्लायाना (अनामलाई स्पिय लिर्जाड), उरोपेलटेस मकुलाटस (सामान्य शिइलडटैल), राना कुरटिपुस (बिकोलोउरेड मेंढक), रोरचेस्टेसल यूकोरिनस (पॉइंट-नोज्ड बुश मेंढक), बुफो मेलानोस्टिकटस (सामान्य भारतीय टोड), इंदिराना लेपटोदकतीला (थीन लिम्बेड मेंढक), आदि अभिलिखित की गई है;

और, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य 10° 15' से 10° 21' उ अक्षांश 77° 05' से 77° 16' पू देशांतर के बीच केरल के दक्षिणी पश्चिम घाटों के उच्च श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है; क्षेत्र अधिसूचना आरडी सं.1414/42/ विभाग, मई 1942 में अधिसूचित रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था और बाद में केरल सरकार के अधिसूचना जी.ओ (पी) सं.229/84/एडी के अनुसार अगस्त 1984 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और अभयारण्य 90.44 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है; यह अभयारण्य विविध सांस्कृतिक भूदृश्यों के आर-पार शोला घासभूमि से शुष्क कंटली झाड़ीदार भूमि के वास-स्थल तक, जो इसे अन्यों के साथ तुलना में अद्वितीय बनाते हैं, सहित अपने पारिस्थितिकीय, वानस्पतिक और भू-आकृति विज्ञान महत्व के कारण पश्चिमी घाट में महत्वपूर्ण संरक्षित स्थलों में से एक है;

और, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में पूर्व बहाव पम्बार नदी की मुख्य जलग्रहण क्षेत्र और अमरावती जलाशय का निकटस्थ जलग्रहण क्षेत्र है और स्थलाकृतिक रूप से अनामलाई पहाड़ियों और कोडाईकनाल ढलानों के बीच संपर्क है और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलान वनों में इसकी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। अभयारण्य तमिलनाडु के इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान की शोला घासभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली और अनमलाई बाघ रिजर्व के दक्षिणी भाग के लिए महत्वपूर्ण है। चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य केरल में ग्रिजल्ड जाईन्ट गिलहरी की पृथक जनसंख्या है और अभयारण्य की मुख्य जीवजंतु में ट्राचपिथेकस जोहनी (नीलगिरि लंगूर), रतुफा मैक्रौरा (ग्रिजल्ड बृहत गिलहरी), लोरिस टरडिग्राडस (तवांगु), परिओनाइलुरुस रूबिगिनोसा (रस्टी स्पोट्टेड बिल्ली), नीलगिरिट्रागस हायलोक्रीउस (नीलगिरि तहर), क्रोकोडयलु स्पालुस्ट्री (मुग्गेर मगरमच्छ), ड्राविडोगेकोन अमाल्लेंसिस (अनामलाई छिपकली), टरिमेरेसुरुस माक्रोलेपिस (लार्ज-स्केल्ड ग्रीन पिट वाइपर), फिकेडुला निगरोरूफा (ब्लैक और ऑरेंज फ्लाइकैचर), अंथुस निलघिरिइंसिस (नीलगिरि पिपिट), इयमयिअस अबलिकौडाटा (नीलगिरि फ्लाइकैचर), इयमयिअस थालास्सिनस (वेरडिटेर फ्लाइकैचर), मेलानोचिल्लस ट्राइजुगा (भारतीय काला कछुआ), अहाइटुल्ला डिस्पार (गंधेर विने स्लेक), रोरेस्टेस ग्रिएट (ग्रिडट बुश मेंढक), घातिसालुस मायुस (लार्ज-घाट ट्री मेंढक), दुत्तापहरयनुस मिन्नोतीमपानुम (छोटा-एग्रेट टोड), आदि शामिल हैं;

और, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य की दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय (आरईटी) प्रजातियों में इलाइओकार्पुस रेकुवाटिस (रूद्राकशाम), अलबिजिया लाथामि (नाटोंजाल), सीजीजियम डेंसीफ्लोरम (कुंरुंजावाल), बेइल्चमिडिया विघटि (नागारामाराम), होपेया परविफ्लोरा (थाम्बागाम), त्रच्यपिथेकस जोहनी (नीलगिरि लंगूर), रतुफा माक्रोउरा (ग्रिजल्ड बृहत गिलहरी), नीलगिरिट्रागुस हायलोक्रीउस (नीलगिरितहर), क्रोकोडिलस पालुस्ट्रिस (मुग्गेर मगरमच्छ), पाइकोनोटस ज़ैथोलास (येल्लोव थ्रोटेड बुलबुल), कोलुम्बा इलफिंस्टोनी (नीलगिरि वूड कबूतर), यूमियासबली कौडाटा (नीलगिरि फ्लाइकैचर), इयमयिअस थालास्सिनस (वेरडिटेर फ्लाइकैचर), डुट्टाफ्रीनस माइक्रोटयम्पानुम (छोटा-इअरेड टोड), राओरचेस्टेस डुवोइस (कोडइकनाल बुश मेंढक) है और अभयारण्य की स्थानिक प्रजातियों में गोरडोनिया ओबटुसे (करिक्कोवा), मनिलकारारोक्वुरघिअना (कन्नुपाला), वाक्किनियम नेइलघेरेंसे (मानालामाराम), किन्नामोमुम विघटी (कट्टुकारूवा), लिटसेया विघटिअना (मांकुडाला), गलोचिडिओन इल्लिपटिकम (चेंडाना), फिकस डाल्होउसेइया (काल्लाल), ट्रेचीपिथेकस जोहनी (नीलगिरि लंगूर), रतुफा माक्रोउरा (गरिज्जलेड बृहत गिलहरी), लोरिस टरडिग्राडस (तवांगु), नीलगिरिट्रागुस हायलोक्रीउस (नीलगिरितहर), पाइकोनोटस ज़ैथोलाएमुस (येल्लोव थ्रोटेड बुलबुल), फिकेडुला निग्रोरूफा (ब्लैक और ऑरेंज फ्लाइकैचर), कोलुम्बा इलफिंस्टोनी (नीलगिरि वूड कबूतर), अंथुस निलघिरिइंसिस (नीलगिरि पिपिट), यूमियासबली कौडाटा (नीलगिरि फ्लाइकैचर), कयोरनिस पाल्लिडिपेस (वाइट-बेल्लीइड ब्लू-फ्लाइकैचर), इयमयिअस थालास्सिनस (वेरडिटेर फ्लाइकैचर), राओरचेस्टेस ग्रिडट (गरिडट बुश मेंढक), घाटीक्लुस अस्टेरोपस (स्टार-इयेड ट्री मेंढक), घाटीक्सलुस मागनुस (लार्ज-घाट ट्री मेंढक), बुफो मेलानोस्टिकस (सामान्य भारतीय टोड), आदि हैं;

और, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान 10° 09' 58.48" से 10° 14' 52.37" उ अक्षांश और 77° 09' 23.47" से 77° 14' 42.11" पू देशांतर के अंतर्गत स्थित है और तीन रिजर्व वनों अर्थात् मन्नावन शोला रिजर्व सं. 58, पुल्लारडी शोला रिजर्व सं. 57 और ईडीवारा शोला रिजर्व सं. 56 के अंतर्गत 33.45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि 1068 के विनियमन II की धारा 18 के अंतर्गत 22 अक्टूबर 1901 को अधिसूचित किया गया था। उद्यान में तीन अलग-अलग शोला शामिल हैं जिसमें दक्षिण भारत में मन्नावन शोला सबसे बड़ा है। अनामुडी शोला राष्ट्रीय केरल सरकार के अधिसूचना सं. 12876/एफ 2003/एफ एवं डब्ल्यूएलडी दिनांक 14 दिसंबर 2003 के अनुसार दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था;

और, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान में अद्वितीय पौधों और पशुओं की बृहत् संख्या का प्रतिनिधित्व करता है यह उच्च ऊंचाई शोला-घासभूमि वास है; और राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य वनस्पति में अक्युचिया पेडुक्कुलाटा, एक्टिनोडाफेने मालाबारिका, केल्टिस टेटेंड्रा, डाफिफल्लुम नेलघेरेंसिस, इलेओकार्पुस मुरोनि, इलेओकार्पुस रेकुरवाटस, इलेओकार्पुस तुबेरकुलाटस, किन्नामोमु माक्रोकारपुम, गोम्फांड्रा कोरियाकेइया, आदि है; जबकि राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य जीवजंतु में त्रच्यपिथेकस जोहनी (नीलगिरि लंगूर), मार्टेस गवारटकिंसि (नीलगिरि मार्टन), नीलगिरिट्रागुस हायलाकरिउस (नीलगिरि तहर), बोस गौरस (गौर), रुसा यूनीक्लोर (सांभर हिरण), पाराडोकूस जेरडोनि (ब्राउन पाम सीविट), हेर्पेस्टेस विट्टिकोलिस (स्टिपे नेक्केड नेवला), माकाका राडिअटे (बोन्नेट मकाक्यू), मुनटीक्स मुनतजक (मुंजक), आदि शामिल हैं;

और, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान की दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय (आरईटी) प्रजातियों में *वानासुशावा पेडाटा*), *अनाफलिस ट्रावांकोरिका*, *वेर्नोनिया पेनिन्सुलारिस*), *वेर्नोनिया सालिगना वार निलघिरेंसिस*, *लम्पाटिंस हेरबिकोला*), *लम्पाटिंस फोइनिकेया*, *पिम्पिनेल्ला पुल्लेयेंसिस*, *हेलिचरयसुम पेरलानिगेरूम*, *ट्राचपिथेकस जोहनी* (नीलगिरि लंगूर), *मार्टेस गवारटकिंसि* (नीलगिरि मार्टेन), *नीलगिरिट्रागुस हायलोक्रिउस* (नीलगिरितहर), *बोस गौरस* (गौर), *रसा यूनीक्लोर* (सांभर हिरण), *पेंथेरा टाइगरिस* (बाघ), *कौनालपिनेस* (वन्यजीव कुत्ता), *मेलर्सस अरसिनस* (रीछ), *पेन्थेरा प्रड्यूस* (सामान्य तेंदुआ), *फिकेडुला निगरोरूफा* (ब्लैक-और-ऑरेंज फ्लाइकैचर), *कोलुम्बा इलफिस्टोनी* (नीलगिरि वूड कबूतर), *कयोरनिस पाल्लिपेस* (वाइट-बेल्लिड ब्लू फ्लाइकैचर), *इयम्यिअसाबिल कौडाटा* (नीलगिरि फ्लाइकैचर), *अंधुस निलघिरेंसिस* (नीलगिरि पिपिट), *पसिट्टाकुला कोलुम्बोइडेस* (मालाबार पैराकिट और ब्लू-विंगेड पैराकिट), आदि हैं; जबकि अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान स्थानिक प्रजातियों में *अंड्रोग्राफिस नैसिअना वार नैसिअना*, *बारलेरिया इंबोलुक्राटा वार इलाटा*, *स्ट्रोबिलांथेस कुन्थिनस* (नैलाकुरीनजी), *हेराक्लेयम स्परेंगेलिअनुम* (कट्टुगैराकम), *पिम्पिनेल्ला पुल्लेयेंसिस*), *अनाफलिस अरीस्ट्राटा* (पांजीचेडी), *गयनुरा ट्रावानकोरिका* (कोप्पुचेडी), *वेर्नोनिया बौर्नेअना*, *वेर्नोनिया सालिगना वार निलघिरेंसिस*, *लम्पाटिंस कोरडाटा* (थोट्टाचिनुंगि), *लम्पाटिंस फोइनिकेया*, *लम्पाटिंस टंगाचे* (अट्टालांजी), *ट्रेचीपिटेकस जॉनी* (नीलगिरि लंगूर), *मार्टेस गवारटकिंसि* (नीलगिरि मार्टेन), *नीलगिरिट्रागुस थयलोकरिउस* (नीलगिरितहर), *फिकेडुलानिग्रोरूफा* (ब्लैक-और-ऑरेंज फ्लाइकैचर), *कोलुम्बा इलफिस्टोनी* (नीलगिरि वूड कबूतर), *पसिट्टाकुला कोलुम्बोइडेस* (मालाबार पैराकीट), *कयोरनिस पाल्लिपेस* (वाइट-बेल्लीड ब्लू फ्लाइकैचर), *इयम्यिअसाबिल कौडाटा* (नीलगिरि फ्लाइकैचर), *अंधुस निलघिरेंसिस* (नीलगिरि पिपिट), *नेक्टारिनिया मिनिमा* (छोटा सनबर्ड), *बुफो मेलानोस्टीकटस* (सामान्य टोड), *हेमिफयल्लोडाकटयलुस औरंटिअकुस* (पश्चिम घाट वर्म छिपकली), *कैस्टलेया लटेरिमाकुलातुम* (सिदे स्पोट्टेड ग्राउड स्किंक), *कैस्टलेया पलनिकम* (पालानी ग्राउड स्किंक), *सालेआना मालायाना* (अनाइमलाई स्पिंग लिजार्ड), *उरोपेलटी सेल्लिओटी* (इल्लिओट शेइलडटेल), आदि हैं;

और, कुरींजीमाला वन्यजीव अभयारण्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाटों के उच्च श्रेणी के वट्टावाडा घाटी के पूर्वी ढलानों पर 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और तमिलनाडु राज्य सीमा कोडाईकनल वन संभाग और अनामलाई बाघ रिज़र्व के साथ लगती है। कुरींजीमाला अभयारण्य पौधे प्रजातियां अर्थात् नीलाकुरींजी (*स्ट्रोबिलनथस कुंथीयना*) की लंबी अवधि के संरक्षण के उद्देश्य के साथ केरल सरकार के जी.ओ (एम एस) सं. 36/06/वन के द्वारा 6 अक्टूबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था; जबकि अभयारण्य में अन्य जीवजंतु *बारलेरिया इंबोलुकराटा वार इलाटा*, *अंड्रोग्राफिस नैसिअना वार नैसिअना*, *रुंगिया लैटा*, *स्ट्रोबिलांथेस कुंथिअना* (नैलाकुरीनजी), *स्ट्रोबिलांथेस नेइलघेरेंसिस*, *हेराक्लेयम स्परेंगेलिअनुम* (कट्टुगैरेकम), *पिंपिनेला कैंडोलिआना*, *वनसुशवा पेडाटा*, *अनाफलिस औरिस्टाटा* (पंजीचेडी), *अनाफलिस मैबोलडी*, *गयनुरा ट्रावानकोरिका* (कोप्पुचेडी), *वेर्नोनिया सालिगना वार निलघिरेंसिस*, *लम्पाटिंस कोरडाटा* (थोट्टाचिनुंगि), *लम्पाटिंस गौउघी*, *लम्पाटिंस जेडॉनिया*, *लम्पाटिंस टंगाचे* (आट्टालांजी), *लम्पाटिंस विधिदिअना*, *महोनिया लेस्वेनाउलटिय* (मंजानाथी), *विबर्नम कोरियासुम*, आदि पाए जाते हैं; और कुरींजीमाला वन्यजीव अभयारण्य की मुख्य जीवजंतु *ट्राचपिथेकस जोहनी* (नीलगिरि लंगूर), *मार्टेस गवारटकिंसि* (नीलगिरि मार्टेन), *नीलगिरिट्रागुस हायलाकरिउस* (नीलगिरि तहर), *बोस गौरस* (गौर), *रसा यूनीक्लोर* (सांभर हिरण), *पाराडोक्सूरस जेरडोनि* (ब्राउन पाम सीविट), *हेर्पेस्टेस विट्टिकोलिस* (स्टिपे नेक्केड नेवला), *माकाका राडिअटे* (बोन्नेट मकाक्यू), *मुनटीक्स मुनतजक* (मुंजक), *कोलुम्बा इलफिस्टोनी* (नीलगिरि वूड कबूतर), *कयोरनिस पाल्लिपेस* (वाइट-बेल्लीड ब्लू फ्लाइकैचर), *इयम्यिअसाबिल कौडाटा* (नीलगिरि फ्लाइकैचर), *ट्रोइड्स मिनोस* (दक्षिण बर्डविंग), *ग्राफियम सर्पदोनतेरेडोन* (सामान्य ब्लूबोट्टेल), *पापिलिओ पोलयमनेस्टोर पोलयमनेस्टोर* (ब्लू मोरमोन), *काटोप्सिलिसर पोमोना पोमोना* (सामान्य इमिग्रान्ट), *यूरेमा लैटा लैटा* (स्पोटलेस्स ग्रास यल्लोव), *कोलिअस नीलगिरिइंसिस* (नीलगिरि क्लोडेड यल्लोव), *ड्राविडोगेक्को अनामल्लेंसिस* (अनामलाई पहाड़ी गेक्को), *स्किंकेल्ला ट्रावांकोरिकम* (ट्रावांकोरे ग्राउड स्किंक), *रिस्टेल्ला ट्रावांकोरिका* (ट्रावांकोरे रिस्टेल्ला), *उरोपेलटेस माकुलाटेस* (सामान्य शेइलडटेल), आदि हैं;

और, कुरींजीमाला वन्यजीव अभयारण्य की दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय (आरईटी) प्रजातियां *वानासुशावा पेडाटा*, *वेर्नोनिया हेयनेड*, *वेर्नोनिया सालिगना*, *लम्पाटिंस हेरबिकोला*, *लम्पाटिंस विधिदिअना*, *वानासुशावा पेडाटा*, *ट्राचपिथेकस जोहनी* (नीलगिरि लंगूर), *मार्टेस गवारटकिंसि* (नीलगिरि मार्टेन), *नीलगिरि ट्रागुसहायलाकरिउस* (नीलगिरि तहर), *बोस गौरस* (गौर), *रसा यूनीक्लोर* (सांभर हिरण), *पेंथेरा टाइगरिस* (बाघ), *कुओन अलपिनेस* (वन्यजीव कुत्ता), *पेन्थेरा प्रड्यूस* (सामान्य तेंदुआ), *फिकेडुला निगरोरूफा* (ब्लैक-और-ऑरेंज फ्लाइकैचर), *कोलुम्बा इलफिस्टोनी* (नीलगिरि वूड कबूतर), *कयोरनिस पाल्लिपेस* (वाइट-बेल्लीड ब्लू फ्लाइकैचर), *इयम्यिअसाबिल कौडाटा* (नीलगिरि फ्लाइकैचर),

अंधुस निलघिरिइंसिस (नीलगिरि पिपिट), पस्ट्रिकुला कोलुम्बोइडेस (मालाबार पैराकिट), आदि हैं; अभयारण्य की स्थानिक प्रजातियां बारलेरिया इंवोलुकराटा, स्ट्रोबिलाथेस कुंथिअनुस, हेराक्लेयम स्प्रेंगेलियनम (काट्टुग्रीराकाम), पिम्पिनेल्ला पुल्लेयेन्सिस, अनाफलिस ऑरिस्टाटा, (पंजीचेडी), अनाफलिस मैबोल्डी, गयनुरा ट्रावांकोरिका (कोप्पुचेडी), वेर्नोनिया ब्रुर्नेअना, वेर्नोनिया हेयनेइ, वेर्नोनिया सालिगना, लम्पाटिइंस सेलेगंस, लम्पाटिइंस यूंकिनाटा, जेहनेरिया मायसोरेंसिस (मुसुमुसुक्कांचेडी), ट्राचपिथेकस जोहनी (नीलगिरि लंगूर), मार्टेस गवारटकिंसि (नीलगिरि मार्टेन), नीलगिरि ट्रागुसहायलाकरिउस (नीलगिरि तहर), फिकेडुला निगरोरूफा (ब्लैक-और-ऑरेंज फ्लाइकैचर), कोलुम्बा इलफिंस्टोनी (नीलगिरि वूड कबूतर), पस्ट्रिकुला कोलुम्बोइडेस (मालाबार पैराकिट), कयोरनिस पाल्लिपेस (वाइट-बेल्लीड ब्लू फ्लाइकैचर), इयम्पिअसाबिल कौडाटा (नीलगिरि फ्लाइकैचर), अंधुस निलघिरिइंसिस (नीलगिरि पिपिट), नेक्टेरिनिअ मिनिमा (छोटा सनबर्ड), बुफो मेलानोस्टीकटस (सामान्य टोड), हेमिफिल्लोदाकटयलुस औरांटाअकुस (पश्चिम घाट वर्म छिपकली), कैस्टलेया लटेरिमाकुलातुम (साइड स्पॉटेड स्किंक), सालेअना मालायना (अनाइमलाई स्पिनी छिपकली), उरोपेलटिस इल्लिओटी (इलीयट्सओटस शील्डटेल), आदि हैं;

और, पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान 11.753 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है; अभयारण्य तमिलनाडु के कन्नन देवन पहाड़ियों और पालानी पहाड़ियों के बीच 10° 7' और 10°10' उ अक्षांश 77° 14' और 77° 17' देशांतर के बीच दक्षिणी पश्चिमी घाटों की उच्च श्रेणी के पूर्वी भाग पर स्थित है। मूलतः राष्ट्रीय उद्यान 1901 में पम्बादम शोला रिज़र्व सं. 55 अधिसूचित किया गया था, यह अद्वितीय पारिस्थितिकी और भौगोलिक महत्त्व के कारण केरल सरकार की अधिसूचना सं. 12875/एफई/ 2003/ एफ एवं डब्ल्यूएलडी दिनांक 14 दिसंबर, 2003 के अनुसार दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था;

और, पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य वनस्पति उच्चतम ऊंचाई में शोला घास भूमि प्रणाली के साथ दक्षिणी उप-उष्णकटिबंधी पहाड़ी वनों की मुख्यतः में आती है; वनस्पति की प्रजातियों में एक्टिनोडाफने मालाबरिकम, अलनुस नेपालेंसिस, कैन्थियम नीलगरेनसे, इलोकार्पस मुनरोनी, इलोकार्पस रिकुरवेटस, किन्नामोमुम माक्रोकारपम, फिकस लेविस, गोम्फांड्रा कोरियाकेया, लितसेया ग्लाबराटा, नेओलिटसेया कास्सिया, पेरसेया माकरांथा, मास्टिकइया अरबोरिया, कुकुलागो ओरचिओडेस, कारेक्फिलिकिना, चेनोपोडियम अमबोरोस्सोआईडेस, ओबेरोनिया चांड्रासेखारानी, ओबेरोनिया थवाइटेसे, ओबेरोनिया वेरटिकल्लानिया, ड्रोसेरा पेल्टाटा, परूनस जयलानिका, आदि आते हैं; जबकि अभयारण्य के मुख्य जीवजंतु में ट्राचपिथेकस जोहनी (नीलगिरि लंगूर), मार्टेस गवारटकिंसि (नीलगिरि मार्टेन), नीलगिरि टैगुशीलॉक्रियस (नीलगिरि तहर), बोस गौरस (गौर), रुसा यूनीक्लोर (सांभर हिरण), पाराडोकूस जेरडोनि (ब्राउन पाम सीवित), हेरपेस्टेस विट्टिकोल्लिस (स्ट्रिपे नेकड नेवला), मकाका राडिअटा (बोन्नेट मकाक्यू), मुनटीक्स मुनतजक (मुंजक), फिकेडुला निगरोरूफा (ब्लैक-और-ऑरेंज फ्लाइकैचर), कोलुम्बा इलफिंस्टोनी (नीलगिरि वूड कबूतर), पस्ट्रिकुला कोलुम्बोइडेस (मालाबार पैराकिट), कयोरनी स्पाल्लिपेस (वाइट-बेल्लीड ब्लू फ्लाइकैचर), ट्रोइड्स मिनोस (दक्षिण बिर्डविंग), ग्राफियम सारपेडोनटेरेडोन (सामान्य ब्लू बोट्टेल), काटोपसिलिया पोमोना पोमोना (सामान्य इमिग्रेंट), इयरेमा लइता लइता (स्पोटलेस्स ग्रास यल्लो), कोलिअस निगिरिइंसिस (नीलगिरि क्लोडेड येलो), डराविडोगेक्को अनामल्लेंसिस (अनामलाई पहाड़ी गेक्को), सालेअना माल्लायना (अनामलाई स्पिनी छिपकली), रिस्टेल्ला ट्रावांकोरिका (ट्रावांकोरे रिस्टेल्ला), आदि हैं;

और, पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान कन्नन देवन पहाड़ियों और पालानी पहाड़ियों के गलियारे को जोड़ता है और इसमें विशिष्ट विविधता के साथ स्थानिक प्रजातियों की महत्त्वपूर्ण संख्या है; राष्ट्रीय उद्यान की कुछ स्थानिक प्रजातियां एन्ड्रोग्राफिस नेसियाना, बारलेरिया इंवोलुकराटा, स्ट्रोबिलाथेस कुंथिअनुस, हेराक्लेयम स्प्रेंगेलियनम (काट्टुगेरेरकम), पिम्पिनेल्ला पुल्लेयेंसिस, अनाफलिस अरिस्टाटा (पंजीचेडी), अनाफलिस मैबोल्डी, गयनुरा ट्रावनकोरिका (कोप्पुचेडी), वेर्नोनिया ब्रुर्नेअना, वेर्नोनिया हेयनेइ, वेर्नोनिया सालिगना, लम्पाटिइंस इलेगंस, हेरबिकोला, लम्पाटिइंस फोइनिकेया, लम्पाटिइंस यूंकिनाटा, ट्राचपिथेकस जोहनी (नीलगिरि लंगूर), मार्टेस गवारटकिंसि (नीलगिरि मार्टेन), नीलगिरि टैगुशीलॉक्रियस (नीलगिरि तहर), कोलुम्बा इलफिंस्टोनी (नीलगिरि वूड कबूतर), कयोरनिसपाल्लिपेस (वाइट-बेल्लीड ब्लू फ्लाइकैचर), इयम्पिअसाबिली कौडाटा (नीलगिरि फ्लाइकैचर), अंधुस निलघिरिइंसिस (नीलगिरि पिपिट), नेक्टेरिनिअ मिनिमा (छोटा सनबर्ड), बुफो मेलानोस्टीकटस (सामान्य टोड), हेमीफिल्लोडेक्टीलस औरांटाअकुस (पश्चिम घाट वर्म गेक्को), काइस्टलेया लटेरिमाकुलातम (साइड स्पॉटेड ग्राउड स्किंक), कोइस्टलेया पाल्लिकम (पालानी ग्राउड स्किंक), सालेअना मालायाना (अनाइमलाई स्पिनी छिपकली), उरोपेलटिस इल्लिओटी (इल्लिओट शेइलडाटेल), आदि हैं; जबकि पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान की दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय (आरईटी) प्रजातियां अनाफलिस ट्रावांकोरिका,

वेर्नोनिया पेनिसुलारिस, वेर्नोनिया सालिगना, लम्पाटिइंस इलेगंस), लम्पाटिइंस फोइनिकेया, पिम्पिनेल्ला पुल्लेयेंसिस, वानासुशावा पेडाटा, हेलिचरयसम पेरलानिगेरूम, ट्राचपिथेकस जोहनी (नीलगिरि लंगूर), मार्टेस गवारटकिंसि (नीलगिरि मार्टेन), नीलगिरि टैगुशीलॉक्रियस (नीलगिरि तहर), बोस गौरस (गौर), रुसा यूनीक्लोरा (सांभर हिरण), पेंथेरा टाइगरिस (बाघ), कुओन अलपिनेस (जंगली कुत्ता), मेल्सिस अरसिनस (रीछ), पेन्थेरा प्रड्यूस (सामान्य तेंदुआ), फिकेडुला निगरोरूफा (ब्लैक-और-ऑरेंज फ्लाईकैचर), कोलुम्बा इलफिस्टोनी (नीलगिरि वूड कबूतर), कयोरनिस पाल्लिपेस (वाइट-बेल्लिड ब्लू फ्लाईकैचर), इयम्यिअसाविली कौडाटा (नीलगिरि फ्लाईकैचर), अंधुस निलघिरिसिस (नीलगिरि पिपिट), पसिट्टाकुला कोलुम्बोइडेस (मालाबार पैराकिट), आदि हैं;

और, इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के ईडुक्की जिला के इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक विस्तृत है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार विभिन्न दिशाओं में नीचे दिया गया है:

क्र.सं	दिशा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार (किलोमीटर में)				
		इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान	चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य	अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान	कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य	पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान
(i)	उत्तर	0	0	1	0	1
(ii)	उत्तर-पूर्व	0	0	0	0	0
(iii)	पूर्व	0 से 1	0	1	0	0
(iv)	दक्षिण- पूर्व	1	0 से 1	1	0	0
(v)	दक्षिण	1	1	1	0	0
(vi)	दक्षिण-पश्चिम	1	0 से 1	1	-	-
(vii)	पश्चिम	0	0	1	1	1
(viii)	उत्तर पश्चिम	0	0	1	0	1

- यह उचित ठहराया गया था कि इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी भाग में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार है, क्योंकि यह भाग तमिलनाडु में अनामलाई बाघ रिज़र्व के साथ समीपवर्ती है जबकि उत्तर-पूर्वी सीमा, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के साथ समीपवर्ती है। अन्य दिशाओं में शून्य विस्तार, मुन्नार क्षेत्रीय संभाग के अधिसूचित रिज़र्व के साथ समीपवर्ती है।

- तमिलनाडु राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा और इस क्षेत्र के मुख्य रूप से अनामलाई बाघ रिज़र्व के संरक्षित होने के कारण उत्तर, उत्तर-पूर्व और पूर्व सीमा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार है। जबकि, पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार दक्षिण-पूर्व दिशा में कुरीजीमाला अभयारण्य के साथ समीपवर्ती है, उसी प्रकार इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ समीपवर्ती होने के कारण पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा में शून्य विस्तार है।
- पूर्वोत्तर दिशा में पारिस्थितिकी जोन का शून्य विस्तार कुरीजीमाला अभयारण्य के साथ समीपवर्ती और मुन्नार वन्यजीव संभाग के अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ निकटस्थ होने के कारण है।
- तमिलनाडु के साथ अंतरराज्यीय सीमा के कारण कुरीजीमाला अभयारण्य के उत्तरी, उत्तर-पूर्व, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार है। जबकि, मुन्नार वन्यजीव संभाग (पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान और अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान) के अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ-समीपवर्ती के कारण दक्षिण और उत्तर-पश्चिम में पारिस्थितिक संवेदी जोन का शून्य विस्तार है।
- मुन्नार वन्यजीव संभाग के तमिलनाडु के साथ अंतरराज्यीय सीमा के साथ समीपवर्ती एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ निकटस्थ के कारण पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर-पूर्वी, पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी भागों में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार है।

इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल 102.26 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अलग-अलग क्षेत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं	संरक्षित क्षेत्र	पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)
(i)	इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान	33.7
(ii)	चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य	23.4
(iii)	अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान	30.7
(iv)	कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य	9.3
(v)	पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान	5.16
(vi)	कुल	102.26

2. इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विवरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
3. इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।
4. सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र अनुलग्नक -IIIक, अनुलग्नक -IIIख और अनुलग्नक -IIIग के रूप में संलग्न है।
5. इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची अनुलग्नक-IV में दी गई है।
6. इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची अनुलग्नक -V में दी गई है।
7. मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची अनुलग्नक-VI के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमति नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमति किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमति नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास हानि पहुंचाने वाले विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमति होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमति नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमति होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमति किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुमति नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमति किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमति किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुमति नहीं होगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है, सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार

		के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमति नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुमति नहीं होगी: परन्तु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमति नहीं किया जाएगा: परन्तु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय

		निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएगा कि गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमति होंगे।

21.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी किया जायेगा।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामतः

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, इडुक्की	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	विधान सभा के सदस्य (एमएलए), देवीकुलम	सदस्य;
(iii)	जिला पंचायत अध्यक्ष, इडुक्की	सदस्य;
(iv)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केरल या राज्य विद्युत बोर्ड या केरल जल प्राधिकरण या केरल राज्य सिंचाई विभाग या केरल राज्य पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	केरल सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	केरल सरकार द्वारा नामित राज्य संस्थान के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	राज्य जैवविविधता बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	वन्यजीव वार्डन, मुन्नार वन्यजीव प्रभाग	सदस्य- सचिव

6. निर्देश निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध VII में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय के आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधधीन होंगे।

[फा. सं. 25/64/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

क. केरल राज्य में इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विवरण

राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचना श्रेणी की सीमा का अनुसरण करती है और विवरण निम्न रूप से है:-

- उत्तर: सीमा बिंदु से आरंभ होती है जहां कन्नन देवन पहाड़ियां ग्राम सीमा बिंदु 5540' (1689 मीटर) में केरल और तमिलनाडु के बीच अंतरराज्यीय सीमा से मिलती है। इस बिंदु से सीमा पेराट्टूमाला 7033' (2144 मीटर) से 3984'(1244 मीटर), 5011' (1527 मीटर), 5885' (1794 मीटर) और 7388' (2252 मीटर) की ऊंचाई के साथ चोटी से होते हुए अंतरराज्यीय सीमा के साथ जाती है। इसके बाद दक्षिण पूर्व में मुड़कर, सीमा कुमारीकुल माला 8275' (2522 मीटर) पहुंचती है।
- पूर्व: सीमा कट्टूमाला 8373' (2552 मीटर) और इसके बाद पेरूमालमाला 7736' (2355 मीटर) से होते हुए श्रेणी के साथ कन्नन देवन पहाड़ी ग्राम सीमा जाती है यह थीरूमुडी 5676' (1830 मीटर) तक पहुंचती है।
- दक्षिण: सीमा राजामाला चोटी 7209' (2197 मीटर) के दक्षिण पश्चिम लगभग 3 किलोमीटर कन्नन देवन पहाड़ी ग्राम सीमा से मिलकर चद्रामन्नार एस्टेट (थालायर समूह) की पश्चिमी सीमा, वगुवर्गई और न्यमाकड एस्टेट की उत्तरी सीमाओं से होते हुए जाती है।
- पश्चिम: सीमा राजामाला 7209' (2197 मीटर) से कन्नन देवन पहाड़ी ग्राम सीमा से होते हुए जाती है और इसके बाद उत्तर-पूर्व की ओर मुड़कर, सीमा सम्पामाला 7581' (2311 मीटर) और इसके बाद भीमामाला 4719' (1438 मीटर) पहुंचती है और यहां से कोलुक्कुमलाई 7137' (2175 मीटर) के उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ती है और इसके बाद इरूमामलाई, 7496' (2284) और इरूमापट्टीमलाई, 6999' (2133 मीटर) से होते हुए 5540' (1689 मीटर) में आरंभिक बिंदु के उत्तर दिशा में जाती है।

ख. केरल राज्य में चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

- उत्तर: केयर्न सं.1 रिज़र्व के उत्तर पश्चिम कोण में मारायूर पकुथी और कन्नन देवन पहाड़ी, कोयम्बटूर जिला की सीमाओं के तिराहा से आरंभ होती है, यह रेखा चिन्नार नदी के तट पर राज्य सीमा सर्वेक्षण पत्थर में केयर्न सं. 2 से चिन्नार नदी के साथ लगभग 5643/4 के लिए उत्तर पूर्वी दिशा के निकटतम जाती है, इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम कोण में लगभग 11/4 चैन से केयर्न सं. 4 के लिए सर्वेक्षण सं. के नदी भाग में तट पर राज्य सीमा सर्वेक्षण पत्थर में केयर्न सं.3 उपर्युक्त नदी के साथ लगभग 2141/4 के लिए पूर्व- दक्षिण पूर्व अधिक एवं कम है। (यह क्र.सं.251/1/1 का पश्चिमी मुख्य बिंदु भी है) इसके बाद, यह दक्षिण पूर्व कोण में केयर्न सं. 5 से 15 से केयर्न सं.16 से होते हुए लगभग 333/4 के लिए क्र.सं.257/1/1 के दक्षिण भाग के साथ पूर्व के निकटतम जाती है। इसके बाद लगभग 63/4 चैन से केयर्न 17 के लिए दक्षिण के निकटतम जाती है इसके बाद केयर्न सं.18 से होते हुए लगभग 63/4 के लिए दक्षिण के निकटतम जाती है और चिन्नार नदी के बहाव से थोड़ के बाएं तट में केयर्न सं.19 से पी. डब्ल्यू.डी कैम्पशेड के आगमन सड़क को पार करके जाती है इसके बाद यह चिन्नार नदी के साथ जंक्शन में लगभग 103/4 चैन से केयर्न सं. 20 के लिए थोड़ के साथ उत्तर के निकटतम जाती है (केयर्न संख्या 16 से 20 तक सीमा क्षेत्र की पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी सीमाओं से होते हुए रिज़र्व से उसे छोड़कर पी.डब्ल्यू.डी. के लिए अनुमत है।) इसके बाद यह तट पर लगभग 71/2 चैन से केयर्न सं. 21 के लिए चिन्नार नदी के साथ पूर्व के निकटतम जाती है; इसके बाद पी.डब्ल्यू.डी. कैम्प शेड के आगमन सड़क के पश्चिम भाग पर केयर्न संख्या 22, 23 से केयर्न सं.24 से होते हुए लगभग 43/4 चैन के लिए दक्षिण पूर्व के निकटतम जाती है; इसके बाद ऊपरी सड़क से केयर्न सं. 24 ए को पार करके लगभग 3/4 चैन के लिए पूर्व-दक्षिण पूर्व के निकटतम जाती है; इसके बाद केयर्न सं. 24 ख से 1 चैन के लिए पूर्व – दक्षिण पूर्व के निकटतम जाती है; इसके बाद केयर्न सं.24 ग से 31/2 चैन के लिए उत्तर-उत्तर पूर्व के निकटतम जाती है; इसके बाद केयर्न सं.24 घ से 3/4 चैन के लिए पूर्व जाती है, इसके बाद केयर्न सं. 24 ड.से 11/2 चैन के लिए उत्तर जाती है, इसके बाद केयर्न सं.25 से 3/4 चैन के लिए पश्चिम जाती है, इसके बाद 438 और 500 के बीच दूरी राज्य सीमा सर्वेक्षण पत्थर के उत्तर पश्चिम में 81 लिंक स्थित है चिन्नार नदी के दाएं तट पर केयर्न सं. 26 से उत्तरी निकास सड़क को पार करके लगभग 11/4 चैन के लिए उत्तर पश्चिम के निकटतम जाती है (केयर्न 21 से 26 तक सीमा क्षेत्र की पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी सीमाओं से होते हुए रिज़र्व से उसे छोड़कर उत्पाद-शुल्क कार्यालय कार्ट स्टैण्ड और टोलगेट के लिए अनुमत है।); इसके बाद सर्वेक्षण 261)1 के उत्तर पश्चिम

कोण में राजस्व पत्थर में केयर्न सं. 27 से लगभग 11 चैन के लिए उसी नदी के साथ पूर्व के निकटतम जाती है; इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम कोण में केयर्न सं.28 से लगभग 11/4 चैन के लिए यह पश्चिम भाग के साथ दक्षिण पश्चिम के निकटतम जाती है, इसके बाद यह उत्तर पूर्व कोण में केयर्न सं.29 से 31 तक से केयर्न सं.32 से होते हुए लगभग 63/4 चैन के लिए सर्वेक्षण सं.259/1 के पश्चिम, दक्षिण और पूर्व भागों के साथ साथ जाती है; इसके बाद केयर्न सं.34 से लगभग 721/2 चैन के लिए चिन्नार नदी के साथ पूर्व के निकटतम जाती है; यह चिन्नार नदी के साथ पम्बार नदी का संगम है।

पूर्व: इसके बाद अथीओडा धारा के बाएं तट पर स्थित लगभग 43/4 चैन से केयर्न सं.36 के लिए पम्बार नदी के बाएं तट के साथ दक्षिण-दक्षिण पश्चिम के निकटतम है यह पम्बार के साथ संगम है इसके बाद लगभग 4511/4 चैन से केयर्न 37 के लिए अथीओडा धारा (त्रावणकोर और कोयम्बटूर जिला के बीच सीमा) के साथ दक्षिण-दक्षिण पूर्व के निकटतम है जहां अथीओडाई को पार करके कोयम्बटूर और मद्रई जिलों और त्रावणकोर राज्य (यह छोटी स्थानीय रूप से 'चीन्नाचम्बू मलाई' के नाम से जाना जाता है।) के त्रि-जंक्शन में जम्बूमलाई छोटी के ऊपर में लगभग 1263/4 चैन से केयर्न सं. 38 के लिए राज्य सीमा जाती है।

दक्षिण और पश्चिम: इसके बाद मद्रई जिला (यह स्थान स्थानीय रूप से वेल्लीमलाई के नाम से जाना जाता है) के देवीकुलम तालुक और पालानी तालुक के कीलनथूर और कोट्टाकोम्बू पकुथीस के त्रि-जंक्शन में कोथुकोम्बू पाकुथी के सर्वेक्षण सं. 72/1 के उत्तर पूर्व कोण में सीमा पत्थर में लगभग 38 चैन से केयर्न सं.39 के लिए राज्य सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम के निकट तक है; इसके बाद "चेनकन्नमाला" में केयर्न सं.40 के कीलनथूर और कोट्टाकोम्बू पकुथीस के बीच सीमा के साथ लगभग 631/2 चैन के लिए उसी दिशा में जाती है, इसके बाद कीलनथूर, कोट्टाकोम्बू और कंथालूर पकुथीस (यह स्थल वट्टाचोला निचला के नाम से जाना जाता है) के त्रि-जंक्शन में ग्राम सीमा पत्थर में केयर्न सं. 41 के वेल्लीयानगिरि पहाड़ियों से होते हुए लगभग 531/4 चैन के लिए पकुथी सीमा के साथ पश्चिम दक्षिण-पश्चिम के निकटतम जाती है; इसके बाद कंथालूर और कीलनथूर पकुथीस (यह स्थान वट्टाचोला ऊपरी के नाम से जाना जाता है) के बीच ग्राम सीमा पत्थर में लगभग 231/2 चैन से केयर्न सं. 42 के लिए उत्तर पश्चिम के निकटतम जाता है, इसके बाद उसी दिशा में वन्नान थोराई धारा प्रवाह के दाएं तट पर 30 चैन से केयर्न सं.43 के लिए पश्चिम में अधिक है; इसके बाद लगभग 1091/2 चैन से केयर्न सं. 44 (यहां धारा प्रवाह सीमा को छोड़ती है) के लिए ऊपरी धारा प्रवाह के दाएं तट के साथ पश्चिम उत्तर पश्चिम के निकटतम जाती है, इसके बाद यह लगभग 21/2 चैन से केयर्न सं. 45 के लिए उत्तर के निकटतम है कीलनथूर पकुथीस के सर्वेक्षण सं. 300/1 के दक्षिण पूर्व कोण में थियोडोलाइट पत्थर है, इसके बाद सर्वेक्षण सं. 300/1 के उत्तर पूर्व कोण में थियोडोलाइट पत्थर में वन्नाथोराई चंदन रिज़र्व खंड सं.11 के केयर्न सं. 46 और 47 से केयर्न सं. 85 से होते हुए लगभग 9 चैन के लिए ऊपर सर्वेक्षण संख्या के पूर्व भाग के साथ जाती है, इसके बाद कलीकीलावनओडाई के दाएं तट पर थियोडोलाइट स्टेशन में केयर्न सं.104 में यह दक्षिण पश्चिम कोण के उस रिज़र्व की पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ जाती है, इसके बाद लगभग 8 चैन के लिए उक्त ओडा के उसी तट के साथ दक्षिण पश्चिम के निकटतम जाती है यह वन्नान थोराई नदी के साथ जंक्शन है, इसके बाद वन्नान थोराई नदी के दाएं तट के साथ पश्चिम उत्तर-पश्चिम के पहले निकटतम है और इसके बाद लगभग 1401/2 चैन से केयर्न सं. 48 के लिए उत्तर-उत्तर पश्चिम जाती यह पम्बार नदी के साथ जंक्शन है, इसके बाद लगभग 1071/2 चैन से केयर्न सं.49 के लिए पम्बार नदी के दाएं तट के साथ उत्तर के निकटतम है, इसके बाद यह पम्बार नदी के साथ संगम में नचीमूथु ओडाई के बाएं तट पर केयर्न सं. 50 के पम्बार नदी को पार करके 21/2 चैन के लिए उत्तर पश्चिम के निकटतम जाती है; इसके बाद सर्वेक्षण सं. 256/1 के दक्षिण पूर्व कोण में थियोडोलाइट पत्थर के दक्षिण लगभग 3/4 चैन लगभग 831/4 चैन से केयर्न सं. 51 के लिए नचीमूथु ओडाई के बाएं तट के साथ दक्षिण पश्चिम के निकटतम जाती है; इसके बाद यह उत्तर पूर्व कोण में थियोडोलाइट पत्थर में 3 चैन से केयर्न सं.52 के लिए सर्वेक्षण संख्या के पूर्व भाग के साथ उत्तर पश्चिम के निकटतम जाती है; इसके बाद यह पूर्वी कोर के लिए पश्चिम में अधिक एवं कम है; इसके बाद यह पूर्वी कोर पर सड़क के निकट 29 मील के पहले क्वार्टर में लगभग 7 चैन से केयर्न सं. 53 के लिए अधिक एवं कम पश्चिम है; इसके बाद यह पश्चिमी कोर पर 1 चैन से केयर्न सं. 54 के लिए सड़क को पार करके जाती है; इसके बाद पश्चिम दक्षिण पश्चिम के पहले निकटतम सड़क के उसी कोर के साथ जाती है और इसके बाद लगभग 392 चैन से केयर्न सं. 65 के लिए उत्तर पश्चिम के निकटतम जाती है जहां नचीमूथु ओडाई को पार करके सड़क जाती है; इसके बाद सर्वेक्षण सं.227/2 के दक्षिणी भाग पर लगभग 61/2 चैन से केयर्न सं.56 के लिए उसी ओडाई

के बाएं तट के साथ जाती है; इसके बाद सर्वेक्षण सं.2881/2 के दक्षिण पश्चिम कोण में थियोडोलाइट पत्थर में लगभग 483/4 चैन से केयर्न सं.66 के लिए नचीमुथु ओडाई के बाएं तट पर सर्वेक्षण सं.227/1 के उत्तर पश्चिम कोण में केयर्न सं.57 से 64 से केयर्न सं.65 से होते हुए लगभग 181/4 के लिए सर्वेक्षण सं.227/1 के दक्षिणी भाग के साथ है; इसके बाद नचीमुथु ओडाई के बाएं तट पर सर्वेक्षण संख्या के उत्तर पश्चिम कोण में थियोडोलाइट पत्थर के केयर्न सं.67 से 75 से केयर्न सं.76 से होते हुए लगभग 261/4 चैन के लिए ऊपर सर्वेक्षण सं. के दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी भागों पर स्थित है; इसके बाद उत्तर पश्चिम के पहले निकटतम है और इसके बाद नंदूलामलाई उसी तट पर लगभग 156 चैन से केयर्न सं.77 के लिए ऊपर ओडाई के उसी तट के साथ पश्चिम उत्तर-पश्चिम है, इसके बाद कुमारीकलमलाई के उत्तर और पौवरथाबांध के पूर्व से कन्नन देवन पहाड़ियों और मारायूर पक्थीस् के बीच सीमा पर सीमा पत्थर में केयर्न सं.78 से 80 से केयर्न सं.81 से होते हुए मारायूर पक्थी के सर्वे सं. 286/1/1 से होते हुए लगभग 160 चैन के लिए दक्षिण पश्चिम के निकटतम जाती है, इसके बाद उत्तरी सीमा पर आरंभिक बिंदु में केयर्न सं 82 से 91 (यह रेखा केयर्न सं.85 से 86 के बीच पौवर को पार करके जाती है) से केयर्न सं.1 से होते हुए लगभग 146 चैन के लिए ऊपर सीमा के साथ उत्तर पश्चिम के निकटतम जाती है।

ग. केरल राज्य में अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विवरण

उत्तर: तीर्थालर प्रस्तावित रिज़र्व वन के दक्षिण पश्चिमी कोण पर ओट्टाकोम्बूमाला (पहाड़ी बिंदु 2164) से आरंभ होती है, इसके बाद उक्त रिज़र्व की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है यह मन्नावन शोला रिज़र्व के उत्तर पूर्वी कोण तक पहुंचती है इसके बाद मादावरीमाला के उक्त रिज़र्व की उत्तर पूर्वी सीमा के साथ जाती है, इसके बाद पहाड़ी बिंदु 2153, 2104, 2199, 2132, 2127 (वेल्लीगिरिमाला) के साथ होते हुए ईडीवारा शोला रिज़र्व की दक्षिणी सीमा के साथ उत्तर पूर्व जाती है।

पूर्व: ईडीवारा शोला रिज़र्व वनों और पुल्लाराडी शोला रिज़र्व वन की पूर्वी सीमा के साथ 2127 (वेल्लीगिरिमाला) पहाड़ी बिंदु से आरंभ होती है यह कन्नन देवन पहाड़ी ग्राम अनुदान भूमि की सीमा निकटवर्ती पुल्लाराडी शोला रिज़र्व वन के दक्षिण पूर्वी कोण तक जाती है।

दक्षिण: पुल्लाराडी शोला रिज़र्व वन के दक्षिण पूर्वी कोण से आरंभ होकर कन्नन देवन पहाड़ी ग्राम अनुदान भूमि की उत्तरी सीमा के निकटवर्ती पुल्लाराडी शोला रिज़र्व वन, ईडीवारा शोला रिज़र्व वन की दक्षिण सीमा के साथ अधिक एवं कम दक्षिण की ओर जाती है यह तीर्थामाला तक पहुंचती है।

पश्चिम: तीर्थामाला से आरंभ होकर मन्नावन शोला रिज़र्व वन की पूर्वी सीमा के साथ जाती है यह पहाड़ी बिंदु 2164 ओट्टाकोम्बूमाला तक पहुंचती है।

घ. केरल राज्य में कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

अधिसूचना जी.ओ. (एम एस) सं. 36/06/ वन के दिनांक 6 अक्टूबर 2006 के अनुसार सीमा का विवरण निम्न रूप से है:

उत्तर: चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में वेल्लागिरि चोटी (2127 मीटर) के उत्तर पर बिंदु से आरंभ होती है, सीमा केरूवेपिन शोला के साथ चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिण-पूर्वी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और इसके बाद अंत: राज्य सीमा पर बिंदु संख्या 1769 के कोटम्मबूर शीट रॉक के साथ जाती है

पूर्व: इसके बाद सीमा चोटियों कोलाक्कट्टु मलाई (2066 मीटर), पारा थूम्वू (2356 मीटर), काडावारी कानावाई (2219 मीटर), तुलूकनपटी मलाई (2461 मीटर), कालादनकानावाई मेट्टू (2457 मीटर) और पट्टीतलाईची (2499 मीटर) से होते हुए अंत:राज्य सीमा पर पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर पूर्वी छोर के अंत: राज्य सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है।

दक्षिण: अंत:राज्य सीमा में पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर-पूर्वी छोर से, सीमा पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है यह मुन्नार-कोविलूर सड़क तक पहुंचती है।

पश्चिम: इसके बाद सीमा वट्टावाड ग्राम के खंड सं.62 में वन बागानों की पश्चिमी सीमाओं के साथ उत्तरी दिशा में जाती है यह कोट्टाक्कमबूर ग्राम के खंड सं.58 की दक्षिणी सीमा तक पहुंचती है और यहां से यह खंड सं.58 की सीमा के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में जाती है यह अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान की उत्तर-पूर्वी सीमा तक पहुंचती है और इसके बाद अभयारण्य की सीमा के साथ उत्तर में जाती है और इसके अतिरिक्त उत्तर में यह चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य

की सीमा में वेल्लागिरि चोटी (2124 मीटर) के उत्तर पर आरंभिक बिंदु तक पहुंचती है। पहले अधिसूचना के अनुसार सीमाओं का विवरण किया गया है, जो कि सिर्फ उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमाएं स्पष्टतया पहचान योग्य है। पश्चिम सीमा जिसमें सीमा को निजी तौर पर सीमांकित नहीं किया गया है।

ड. केरल राज्य में पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विवरण

उत्तर: पम्बादम शोला रिज़र्व वन सं.55 की दक्षिणी सीमा, बिंदु लगभग 500 मीटर से आरंभ होकर पहाड़ी बिंदु 2162 से दक्षिण की ओर जाती है, इसके बाद पहाड़ी बिंदु 1896 के दक्षिण पूर्व की जाती है और इसके बाद अंतःराज्य सीमा पर पहाड़ी बिंदु 2497 (पट्टीतलाईची मलाई) और 2531(वंदारावू मलाई) के मध्य में बिंदु में पूर्व की ओर मिलती है।

पूर्व: सीमा, अंतःराज्य सीमा के साथ साथ प्रायः दक्षिण की ओर जाती है।

दक्षिण: सीमा, अंतःराज्य सीमा के साथ साथ प्रायः पश्चिम की ओर जाती है।

पश्चिम: पम्बादम शोला रिज़र्व वन सं.55 की पश्चिमी सीमा चीट्टूरवाई चाय बागान की पूर्वी सीमा के निकटवर्ती है यह आरंभिक बिंदु में उत्तर पूर्वी कोण तक पहुंचती है।

अनुलग्नक- II


क. केरल राज्य में इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण	
उत्तर	इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान का उत्तरी भाग अनामलाई बाघ रिज़र्व (एटीआर) के साथ निकटस्थ है, अतः, पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन पूर्वी भाग बिंदु पी13 (10°17'24.66"उ, 77° 7'27.16"पू) से आरंभ होती है जहां सी डब्ल्यू एस, ई एन पी और मारायूर चंदन संभाग जुड़कर त्रि-जंक्शन बनाते हैं, इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा एम एस डी कोडाक्कड प्रस्तावित रिज़र्व में पी12 (10°16'48.22"उ, 77° 7'41.73"पू) के ई एन पी की सीमा के समानांतर दक्षिण की ओर जाती है, इसके बाद एम एस डी में पी11 मुडकर, पी11 से सीमा पूर्व की ओर जाती है पल्लानाडु के निकट मारायूर- मुन्नार राज्य राजमार्ग के साथ बिंदु पी10 (10°14'5.18"उ, 77° 8'24.04"पू), पहुंचती है इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा तालायर चर्च के निकट बिंदु पी8 (10°12'49.97"उ, 77° 7'57.61"पू) तक पहुंचकर दक्षिण की ओर जाती है, पी8 से शोला में मिलकर चाय आर्किड से होते हुए सीधी रेखा में दक्षिण की ओर जाती है, शोला से इसके बाद 8 वी मील-वागावुराई एस्टेट सड़क के साथ ऊपरी वागावुराई में बिंदु से मिलकर शोला की रिज़ से होते हुए जाती है, इसके बाद 8 वी मील (10° 9'3.46"उ, 77° 4'58.33"पू), में पी6 तक एस्टेट सड़क के साथ जाती है, इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा 5 वी मील तक सड़क के साथ जाती है, इसके बाद पी5 (10° 7'58.80"उ, 77° 2'54.60"पू) पहुंचकर एस्टेट से होते हुए दक्षिण जाती है।
दक्षिण	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा पी5 से आरंभ होती है, इसके बाद पंथु माला के निकट बिंदु पी4 (10° 8' 33.72" उ, 77° 01' 20.28" पू), से मिलकर पश्चिम दिशा की ओर जाती है, इसके बाद राजामाला कारखाना के निकट बिंदु पी3 (10° 8' 57.59" पू , 77 ° 01' 11.75 " पू), पहुंचकर राजामाला- पेट्टीमुडी सड़क के साथ उत्तर की ओर जाती है, इसके बाद पेट्टीमुडी (10° 9' 43.60" उ, 76° 59' 57.52" पू), में पी2 पहुंचकर उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, इसके बाद ईएनपी सीमा (पी1) (10° 10' 2.03" उ, 77 ° 0' 22.36 " पू) पहुंचकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है जहां ईएनपी सीमा अनामुडी अधिसूचित रिज़र्व के साथ जुड़ती है।
पश्चिम	ईएनपी का पश्चिम भाग अनामुडी रिज़र्व वन के साथ निकटस्थ है, अतः पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
ख. केरल राज्य में चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण	

उत्तर	चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य का उत्तरी भाग तमिलनाडु के अनामलाई बाघ रिज़र्व के साथ निकटस्थ है, अतः पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
पूर्व	चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य का पूर्वी भाग तमिलनाडु के अनामलाई बाघ रिज़र्व के साथ निकटस्थ है, अतः पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
दक्षिण	सीमा इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मारायूर चंदन संभाग में कुडाक्काडु रिज़र्व वन और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के त्रि-जंक्शन में पी13 (10°17'24.66"उ, 77° 7'27.16"पू) से आरंभ होती है। इसके बाद यह उत्तर पूर्वी दिशा की ओर जाती है और मारायूर चंदन संभाग में पी15 (10°18'8.57"उ, 77° 8'56.15"पू) में पहुंचती है, इसके बाद पी21 (10°14'43.87"उ, 77°13'15.56"पू), पहुंचकर दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है, जहां ए एस एन पी के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन से मिलती है।
पश्चिम	चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा ईरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के साथ निकटस्थ है, अतः पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
ग. केरल राज्य में अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण	
उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा पम्बा माला के ऊंचाई पर बिंदु पी26 (10°12'10.61"उ, 77°9'3.62"पू) से आरंभ होती है, इसके बाद गोकानाथापुरम के निकट पी24 (10°12'43.66"उ, 77°11'58.76"पू) पहुंचकर पूर्वी दिशा में जाती है। इसके बाद पी21 पहुंचकर उत्तरी दिशा में जाती है जहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु पी21 पहुंचकर उत्तरी दिशा में जाती है जहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन से जुड़ती है।
पूर्व	पूर्व में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु पी34 (10°12'58.14"उ, 77°14'24.64"पू) से आरंभ होती है जहां के. एम.एस. और ए एस एन पी के पारिस्थितिकी संवेदी जोन से मिलती है और पी34 से बिंदु पी32 (10° 9'57.13"उ, 77°13'50.99"पू) पहुंचकर दक्षिण की ओर जाती है।
दक्षिण	दक्षिण में, सीमा पी32 से आरंभ होती है, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर जाती है, पी30 (10° 9'40.68"उ, 77°10'7.47"पू) मिलती है।
पश्चिम	सीमा का पश्चिमी भाग पी30 (10° 9'40.68"उ, 77°10'7.47"पू) से आरंभ होता है, इसके बाद यह ओट्टाकोम्बू माला, थीरुमाला को पार करके और कुंदाला थलाई माला पहुंचती है, इसके बाद पम्बामाला के ऊंच पर पी26 (10°12'10.61"उ, 77° 9'3.62"पू) पहुंचकर उत्तर की ओर जाती है।
घ. केरल राज्य में कुरींजमाला वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण	
उत्तर	कुरींजीमाला अभयारण्य का उत्तरी भाग चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के साथ निकटस्थ है, अतः पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
पूर्व	कुरींजीमाला अभयारण्य का पूर्वी भाग तमिलनाडु के कोडाईकनल संभाग के साथ निकटस्थ है, अतः पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
दक्षिण	कुरींजीमाला अभयारण्य का दक्षिणी भाग पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के साथ निकटस्थ है, अतः पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
पश्चिम	सीमा पी34 (10°12'58.14"उ, 77°14'24.64"पू) चीलनथियर क्षेत्र से आरंभ होती है। इसके बाद सीमा पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ सीमा छूकर पी35 (10°12'30.42"उ, 77°14'51.83"पू), पी36 (10°11'47.90"उ, 77°15'10.51"पू), पी37 (10°11'30.23"उ, 77°15'42.73"पू), पी38 (10°10'39.40"उ, 77°15'44.86"पू) से पी39 (10°10'14.32"उ, 77°15'20.89"पू) तक होते हुए मुड़ती हैं।
ड. केरल राज्य में पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण	
उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कुरींजीमाला अभयारण्य के पी39 (10°10'14.32"उ, 77°15'20.89"पू) से आरंभ होती है, यहां से यह पी40 (10° 9'35.43"उ, 77°14'16.80"पू) से होते

	हुए पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है।
पूर्व	पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान का पूर्वी भाग तमिलनाडु के साथ निकटस्थ है। अतः पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
दक्षिण	पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान का दक्षिणी भाग तमिलनाडु के साथ निकटस्थ है। अतः पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
पश्चिम	पी40 (10.17082 उ, 77.2582 पू) से सीमा चिट्टीवराई चाय बागान के साथ पी41 (10° 9'8.86"उ, 77°14'10.07"पू), पी42 (10° 8'23.21"उ, 77°14'9.39"पू) और पी43 (10° 7'43.47"उ, 77°14'10.54"पू) से होते हुए मुड़ती है।


अनुलग्नक- IIIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरींजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के एकीकृत पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र




अनुलग्नक- IIIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरींजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के एकीकृत पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



अनुलग्नक – IIIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरींजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के एकीकृत पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



अनुलग्नक-IV

केरल राज्य में इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरींजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

प्रमुख बिंदु आई डी	अक्षांश	देशांतर
क. इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के भू-निर्देशांक		
1	10° 18' 46.00"उ	77° 5' 32.90"पू
2	10° 13' 37.38"उ	77° 7' 58.56"पू
3	10° 8' 29.02"उ	77° 2' 29.30"पू
4	10° 13' 15.24"उ	77° 0' 54.00"पू

ख. चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक		
5	10°21'3.91"उ	77°13'19.58"पू
6	10°18'11.33"उ	77°14'12.13"पू
7	10°15'18.35"उ	77°13'13.34"पू
8	10°19'42.82"उ	77° 8'14.63"पू
ग. अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान के भू-निर्देशांक		
9	10°15'0.15"उ	77°14'11.70"पू
10	10°12'19.39"उ	77°14'11.48"पू
11	10°11'16.80"उ	77°13'13.34"पू
12	10°11'22.28"उ	77° 9'23.53"पू
घ. कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक		
13	10°15'17.44"उ	77°15'17.89"पू
14	10°13'16.85"उ	77°17'35.98" पू
15	10° 9'33.17"उ	77°16'18.55"पू
16	10°12'48.20"उ	77°15'23.02"पू
ङ. पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के भू-निर्देशांक		
17	10° 9'26.23"उ	77°15'44.39"पू
18	10° 8'19.13"उ	77°16'30.59"पू
19	10° 7'20.80"उ	77°15'32.01"पू
20	10° 8'26.02"उ	77°14'46.66"पू

अनुलग्नक-V

केरल राज्य में इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क.सं.	प्रमुख बिंदु आई डी	अक्षांश	देशांतर
क. इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक			
1	पी1	10°10'2.03"उ	77° 0'22.36"पू
2	पी2	10° 9'43.60"उ	76°59'57.52"पू
3	पी3	10° 8'57.59"उ	77° 1'11.75"पू
4	पी4	10° 8'33.72"उ	77° 1'20.28"पू
5	पी5	10° 7'58.80"उ	77° 2'54.60"पू
6	पी6	10° 9'3.46"उ	77° 4'58.33"पू
7	पी7	10°11'24.97"उ	77° 7'16.68"पू

8	पी8	10°12'49.97"उ	77° 7'57.61"पू
9	पी9	10°13'18.52"उ	77° 8'8.38"पू
10	पी10	10°14'5.18"उ	77° 8'24.04"पू
11	पी11	10°15'4.57"उ	77° 6'36.11"पू
12	पी12	10°16'48.22"उ	77° 7'41.73"पू
13	पी13	10°17'24.66"उ	77° 7'27.16"पू
ख. चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक			
14	पी14	10°17'36.38"उ	77° 7'50.70"पू
15	पी15	10°18'8.57"उ	77° 8'56.15"पू
16	पी16	10°17'28.32"उ	77° 9'36.00"पू
17	पी17	10°17'1.32"उ	77° 9'48.02"पू
18	पी18	10°16'44.08"उ	77°10'44.04"पू
19	पी19	10°15'37.01"उ	77°11'8.45"पू
20	पी20	10°15'26.14"उ	77°12'5.94"पू
21	पी21	10°14'43.87"उ	77°13'15.56"पू
ग. अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक			
22	पी22	10°14'10.39"उ	77°12'43.63"पू
23	पी23	10°13'13.19"उ	77°12'9.03"पू
24	पी24	10°12'43.66"उ	77°11'58.76"पू
25	पी25	10°13'2.32"उ	77°10'40.19"पू
26	पी26	10°12'10.61"उ	77° 9'3.62"पू
27	पी27	10°11'46.79"उ	77° 8'54.20"पू
28	पी28	10°10'59.38"उ	77° 9'7.31"पू
29	पी29	10°10'50.66"उ	77° 9'19.05"पू
30	पी30	10° 9'40.68"उ	77°10'7.47"पू
31	पी31	10°10'44.65"उ	77°12'10.01"पू
32	पी32	10° 9'57.13"उ	77°13'50.99"पू
33	पी33	10°11'21.23"उ	77°14'59.86"पू
34	पी34	10°12'58.14"उ	77°14'24.64"पू
घ. कुरींजीमाला वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक			
35	पी35	10°12'30.42"उ	77°14'51.83"पू
36	पी36	10°11'47.90"उ	77°15'10.51"पू
37	पी37	10°11'30.23"उ	77°15'42.73"पू
38	पी38	10°10'39.40"उ	77°15'44.86"पू

39	पी39	10°10'14.32"उ	77°15'20.89"पू
ड. पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक			
40	पी40	10° 9'35.43"उ	77°14'16.80"पू
41	पी41	10° 9'8.86"उ	77°14'10.07"पू
42	पी42	10° 8'23.21"उ	77°14'9.39"पू
43	पी43	10° 7'43.47"उ	77°14'10.54"पू

अनुलग्नक-VI

भू-निर्देशांको के साथ केरल राज्य में इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य और पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

तालुक: देवीकुलम

जिला: ईडुक्की

क्र.सं.	ग्राम	स्थित (आंशिक/संपूर्ण)	अक्षांश और देशांतर	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य
1	कन्नन देवन ग्राम	आंशिक	10°13'15.19"उ, 77° 7'58.93"पू	इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान
2	मारायूर	आंशिक	10°14'7.21"उ, 77° 8'5.92"पू	इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान
2	मारायूर	आंशिक	10°16'58.20"उ 77°10'36.85"पू	चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य
3	कीलनथूर	आंशिक	10°14'57.61"उ 77°12'51.15"पू	चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य
4	कंथाल्लूर	आंशिक	10°12'50.27"उ 77°12'16.70"पू	अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान
5	कोट्टाकमपूर	आंशिक	10°11'51.04"उ 77°14'43.90"पू	अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान
6	कीलनथूर	आंशिक	10°13'30.00"उ 77°12'38.36"पू	अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान
7	कन्नादेवन ग्राम	आंशिक	10°10'50.97"उ 77°11'57.97"पू	अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान
7	कोट्टाकमपूर	आंशिक	10°12'18.25"उ 77°15'10.22"पू	कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य
8	वाट्टावाडा	आंशिक	10°11'5.70"उ 77°15'46.01"पू	कुरीजीमाला वन्यजीव अभयारण्य
9	वाट्टावाडा	आंशिक	10° 9'32.75"उ 77°14'30.67"पू	पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान

अनुलग्नक -VII

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में संलग्न करें)।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी शामिल है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे अनुलग्नक के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् अनुलग्नक के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् अनुलग्नक के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2021

S.O. 124(E).— In supersession of Ministry's draft notification S.O. 66(E), dated 7th January, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Eravikulam National Park and four adjoining protected areas *viz*, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Wildlife Sanctuary and Pambadum Shola National Park are located in Devikulam Taluk/Tehsil of Idukki district in Munnar Wildlife Division in the State of Kerala. The total area of the combining five protected areas is 264.643 square kilometres;

AND WHEREAS, the Eravikulam National Park is a part of the Western Ghats in the High Ranges (Kannan Devan Hills) of the southern Western Ghats and lies between 10^o 05'N - 10^o 20' Latitude and 77^o 0' - 77^o 10' E Longitude and has an area of 97 square kilometres; The National Park holds the largest viable population of the endangered Nilgiri Tahr (*Nilgiritragus hylocrius*) with an estimated population of 725-750 individuals. By recognising this importance, the Government of Kerala declared the area as Eravikulam- Rajamala Wildlife Sanctuary in 1975; *vide* G.O No. 8907/FM/375/AD dated 31st

March, 1975; later it was declared as a National Park in 1978, *vide* G.O (MS) 142/78 dated 19th May, 1978, the first protected area in Kerala to get the status of National Park; and the National Park is the catchment area of major fresh water bodies like east-flowing Pambar River and west-flowing Periyar and Chalakudi Rivers adds to the conservation importance of the Eravikulam National Park;

AND WHEREAS, the Eravikulam National Park is also home to a wide and diverse range of endemic, endangered flora and fauna. The floral diversity includes the ‘Neelakurinji’ (*Strobilanthes kunthiana*), which blooms once in a 12 years and other species of flora such as *Mahonia leschenaultia* (mullumanjanathi), *Hypericum mysorensense* (avaramkola), *Rhododendron arboreum* ssp *Nilagiricum* (kattupoovarasu), *Rubus ellipticus* (mullippazham), *Drosera peltata* (kosuvettipullu), *Maesa indica* (kattuvizhal), *Didymocarpus tomentosa* (kalthamara), *Gnidia glauca* (nanju), *Alnus nepalensis* (theepettimaram), *Eurya nitida* (kattukarana), *Cinnamomum sulphuratum* (kattukuruva), *Strobilanthes luridus* (muttakannikurinji), and the faunal diversity includes species like *Elephas maximus* (Asian elephant), *Muntiacus muntjak* (barking deer), *Paradoxurus jerdoni* (brown palm civet), *Bos gaurus* (gaur), *Hystri xindica* (Indian crested porcupine), *Felis chaus* (jungle cat), *Panthera pardus* (leopard), *Prionailurus bengalensis* (leopard cat), *Rusa unicolor* (sambar deer), *Herpessite svitticollis* (stripe-necked mongoose), *Panthera tigris* (tiger), *Nilgiri tragushylocrius* (Nilgiri tahr), etc;

AND WHEREAS, rare, threatened and endangered (RET) species of the Eravikulam National Park are *Anaphalis bournei*, *Hedyotis articularis* ssp. *articularis*, *Campanula alphonsii*, *Crotalaria fysonii*, *Exacum atropurpureum*, *Habenaria barnesi*, *Impatiens coelotropis* (Balsam), *Impatiens pandata* (Balsm), *Rhododendron arboreum* sp. *nilgiriicum*, (Kattupoovarasu) *Sonerila pulneyensis*, *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Martes gwartkinsii* (Nilgiri marten), *Panthera pardus* (leopard), *Elephas maximus* (Asian elephant), *Nilgiritragus hylocrius* (Nilgiritahr), *Panthera tigris* (tiger), *Cuonalpinus* (wild dog), *Melursus ursinus* (sloth bear), *Rusa unicolor* (sambar deer), *Bos gaurus* (gaur), *Columbia elphinstonii* (Nilgiri wood pigeon), *Schoenicolaplatura* (Broad tailed grass warbler), *Anthus nilghiriensis* (Nilgiri pipit), *Ficedula subrubra* (Kashmir Flycatcher), etc; while endemic species recorded from the region are *Crotalaria walkeri*, *Kalanchoe grandiflora*, *Hedyotisstylosa* (thavalakkalchedi), *Hedyotis buxifolia*, *Anaphalistravancorica*, *Campanula alphonsii*, *Swertiacorymbosa*, *Strobilanthes foliosus*, *Brachycorythis wightii*, *Malaxis densiflora*, (chonappullu), *Chrysopogon tadulingamii*, *Tripogonanantaswamianus*, *Pycnonotus priocephalus* (greyheaded bulbul), *Eumyiasabli caudata* (Nilgiri flycatcher), *Nectarinia minima* (Crimson-backed Sunbird), *Salea anamallayana* (Anamalai spiny lizard), *Uropeltis maculates* (common shieldtail), *Rana Curtipus* (bicoloured frog), *Raorchestes eucorhinus* (point-nosed bush frog), *Bufo melanostictus* (common Indian Toad), *Indirana leptodactyla* (thin limbed frog), etc;

AND WHEREAS, the Chinnar Wildlife Sanctuary is situated in the eastern part of the High Ranges of southern Western Ghats of Kerala between 10° 15' to 10° 21' N latitude 77° 05' to 77° 16' E longitude; The area was notified as a notified Reserve in May 1942, *vide* notification R.D No. 1414/42/Dept. and later declared as a Wildlife Sanctuary in August 1984 as per the notification G.O (P) No. 229/84/AD of the Government of Kerala and the Sanctuary is spread over an area of 90.44 square kilometres; the Sanctuary is one of the important protected areas in the Western Ghats due to its ecological, floral and geomorphological significance with shola-grassland to dry thorny scrub habitat across diverse cultural landscape as well, making unique in comparison with others.

AND WHEREAS, The Chinnar Wildlife Sanctuary is the prominent catchment area of an east flowing river Pambar and the immediate catchment of Amaravathy reservoir in Tamil Nadu and topographically link between Anamalai hills and the Kodaikanal slopes and occupies a crucial position in the eastern slope forests of the Western Ghats. The Sanctuary is pivotal for the longevity of the shola grasslands ecosystem of Eravikulam National Park and southern portion of the Anamalai Tiger Reserve of Tamil Nadu. The Chinnar Wildlife Sanctuary holds the lone population of grizzled giant squirrel in Kerala and major fauna of the Sanctuary includes *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Ratufa Macroua* (grizzled giant squirrel), *Loris tardigradus* (slender loris), *Prionailurus rubiginos* (rusty spotted cat), *Nilgiritragus hylocrius* (Nilgiri Tahr), *Crocodylu spalustris* (mugger crocodile), *Dravidogeckoan amallensis* (Anaimalai gecko), *Trimeresurus macrolepis* (large-scaled green pit viper), *Ficedula nigrorufa* (black and orange flycatcher), *Anthus nilghiriensis* (Nilgiri pipit), *Eumyias ablicaudata* (Nilgiri flycatcher), *Eumyias thalassinus* (verditer flycatcher), *Melanochelys trijuga* (Indian black turtle), *Ahaetulla dispar* (günther's vine snake), *Raorchestes griet* (griet bush frog), *Ghatixalus magnus* (large-ghat tree frog), *Duttaphrynus microtypanum* (small-eared toad), etc;

AND WHEREAS, rare, threatened and endangered (RET) species of the Chinnar Wildlife Sanctuary are *Elaeocarpus recurvatus* (rudraksham), *Albizia lathamii* (natoonjal), *Syzygium densiflorum* (kurunjaval), *Beilschmiedia wightii* (nagaramaram), *Hopea parviflora* (thambagam), *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Ratufa macroura* (grizzled giant squirrel), *Nilgiritragus hylocrius* (Nilgiritahr), *Crocodylus palustris* (mugger crocodile), *Pycnonotus xantholaemus* (yellow throated bulbul), *Columba elphinstonii* (Nilgiri wood pigeon), *Eumyiasabli caudata* (Nilgiri flycatcher), *Eumyias thalassinus* (verditer flycatcher), *Duttaphrynus microtympanum* (small-eared toad d), *Raorchestes dubois* (kodaikanal bush frog) and endemic species of the Sanctuary are *Gordonia obtuse* (karikkova), *Manilkararoxburghiana* (kannupala), *Vaccinium neilgherrense* (manalamaram), *Cinnamomum wightii* (kattukaruva), *Litsea wightiana* (manjakudala), *Glochidion ellipticum* (chendana), *Ficus dalhousiae* (kallaal), *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Ratufa macroura* (grizzled giant squirrel), *Loris tardigradus* (slender loris), *Nilgiritragus hylocrius* (Nilgiritahr), *Pycnonotus xantholaemus* (yellow throated bulbul), *Ficedula nigrorufa* (black and orange flycatcher), *Columba elphinstonii* (Nilgiri wood pigeon), *Anthus nilghiriensis* (Nilgiri pipit), *Eumyiasabli caudata* (Nilgiri flycatcher), *Cyornis pallidipes* (white-bellied blue-flycatcher), *Eumyias thalassinus* (verditer flycatcher), *Raorchestes griet* (griet bush frog), *Ghatixalus asterops* (star-eyed tree frog), *Ghatixalus magnus* (large-Ghat tree frog), *Bufo melanostictus* (common Indian toad), etc;

AND WHEREAS, the Anamudi Shola National Park is situated within 10° 09' 58.48" to 10° 14' 52.37" N latitude and 77° 09' 23.47" to 77° 14' 42.11" E longitude and spread over an area of 33.45 square kilometres consists of three Reserve Forests namely Mannavan Shola Reserve No. 58, Pullaradi Shola Reserve No. 57 and Idivara Shola Reserve No. 56, which were notified on 22nd October 1901 under section 18 of regulation II of 1068. The Park includes three distinct Sholas of which Mannavan shola is the largest in South India. Anamudi Shola National Park was declared as National Park in December 2003 as per Notification No. 12876/F2 2003/F & WLD dated 14th December 2003 of the Kerala Government;

AND WHEREAS, Anamudi Shola National Park represents a large number of plants and animals unique to the high altitude Shola- grassland habitats; and major vegetation of the National Park are *Acrunychia pedunculata*, *Actinodaphne malabarica*, *Celtis tetrandra*, *Daphniphyllum neilgherrense*, *Eleocarpus munronii*, *Eleocarpus recurvatus*, *Eleocarpus tuberculatus*, *Cinnamomum macrocarpum*, *Gomphandra coriacea*, etc; while major fauna of the National Park includes *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Martes gwartkinsii* (Nilgiri marten), *Nilgiritragus hylocrius* (Nilgiri tahr), *Bos gaurus* (gaur), *Rusa unicolor* (sambar deer), *Paradoxurus jerdoni* (brown palm civet), *Herpestes vitticollis* (stripe necked mongoose), *Macaca radiata* (bonnet macaque), *Muntiacus muntjak* (barking deer), etc;

AND WHEREAS, rare, threatened and endangered (RET) species of the Anamudi Shola National Park are *Vanasushava pedata*, *Anaphalis travancorica*, *Vernonia peninsularis*, *Vernonia saligna var nilghirensis*, *Impatiens herbicola*, *Impatiens phoenicea*, *Pimpinella pulneyensis*, *Helichrysum perlanigerum*, *Trachypithecus johnii* (nilgiri langur), *Martes gwartkinsii* (nilgiri marten), *Nilgiritragus hylocrius* (nilgiritahr), *Bos gaurus* (gaur), *Rusa unicolor* (sambar deer), *Panthera tigris* (tiger), *Cuon alpinus* (wild dog), *Melursus ursinus* (sloth bear), *Panthera pardus* (common leopard), *Ficedula nigrorufa* (black-and-orange flycatcher), *Columba elphinstonii* (Nilgiri wood pigeon), *Cyornis pallipes* (white-bellied blue flycatcher), *Eumyiasabli caudata* (Nilgiri flycatcher), *Anthus nilghiriensis* (Nilgiri pipit), *Psittacula columboides* (malabar parakeet or blue-winged parakeet), etc; while endemic species of the Anamudi Shola National Park are *Andrographis neesiana var neesiana*, *Barleria involucreta var elata*, *Strobilanthes kunthianus* (neelakurinji), *Heracleum sprengelianum* (kattugeerakam), *Pimpinella pulneyensis*, *Anaphalis aristata* (panjchedi), *Gynura travancorica* (koppuchedi), *Vernonia bourneana*, *Vernonia saligna var nilghirensis*, *Impatiens cordata* (thottachinungi), *Impatiens phoenicea*, *Impatiens tangachee* (aattalanji), *Trachypithecus johnii* (nilgiri langur), *Martes gwartkinsii* (Nilgiri marten), *Nilgiritragus hylocrius* (Nilgiritahr), *Ficedula nigrorufa* (black-and-orange flycatcher), *Columba elphinstonii* (Nilgiri wood pigeon), *Psittacula columboides* (Malabar parakeet), *Cyornis pallipes* (white-bellied blue flycatcher), *Eumyiasabli caudata* (Nilgiri flycatcher), *Anthus nilghiriensis* (Nilgiri pipit), *Nectarinia minima* (small sunbird), *Bufo melanostictus* (common toad), *Hemiphyllodactylus aurantiacus* (western ghat worm gecko), *Kaestlea laterimaculatum* (side spotted ground skink), *Kaestlea palnicum* (palani ground skink), *Saleaana malayana* (Anaimalai spiny lizard), *Uropelti sellioti* (Elliot's sheildtail), etc;

AND WHEREAS, the Kurinjimala Wildlife Sanctuary is spread over an area of 32 square kilometres on the eastern slopes of the Vattavada valley of the High Ranges of the Southern Western Ghats of Kerala and shares its boundary with Kodaikanal Forest Division and Anaimalai Tiger Reserve of Tamil Nadu State. Kurinjimala Sanctuary was notified on 6th October, 2006 vide GO (MS) NO. 36/06/Forest of

the Government of Kerala with objective of long term conservation of plant species namely neelakurinji (*Strobilanthes kunthiana*); while other fauna available in the Sanctuary are *Barleria involucrata var elata*, *Andrographis neesiana var neesiana*, *Rungia laeta*, *Strobilanthes kunthiana* (neelakurinji), *Strobilanthes neilgherrensis*, *Heracleum sprengeianum* (kattugeerakam), *Pimpinella candolleana*, *Vanasushava pedata*, *Anaphalis aristata* (Panjichedi), *Anaphalis meeboldii*, *Gynura travancorica* (koppuchedi), *Vernonia saligna var. nilghirensis*, *Impatiens cordata* (thottachinungi), *Impatiens gouhii*, *Impatiens jerdoniae*, *Impatiens tangachee* (aattalanji), *Impatiens wightiana*, *Mahonia leschenaultia* (manjanathi), *Viburnum coriaceum*, etc; and major fauna of the Kurinjimala Wildlife Sanctuary are *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Martes gwartkinsii* (Nilgiri marten), *Nilgiritragus hylocrius* (Nilgiritahr), *Bos gaurus* (gaur), *Rusa unicolor* (sambar deer), *Paradoxurus jerdoni* (brown palm civet), *Herpestes vitticollis* (stripe necked mongoose), *Macaca radiata* (bonnet macaque), *Muntiacus muntjak* (barking deer), *Columba elphinstonii* (Nilgiri wood pigeon), *Cyornis pallipes* (white-bellied blue flycatcher), *Eumyiasabli caudata* (Nilgiri flycatcher), *Troides minos* (southern birdwing), *Graphium sarpedonteredon* (common bluebottle), *Papilio polymnestor polymnestor* (blue mormon), *Catopsilia pomona pomona* (common emigrant), *Eurema laeta laeta* (spotless grass yellow), *Colias nilgiriensis* (Nilgiri clouded yellow), *Dravidogecko anamallensis* (anamalai hill gecko), *Scincella travancoricum* (travancore ground skink), *Ristella travancorica* (travancore ristella), *Uropeltis maculates* (common shieldtail), etc;

AND WHEREAS, rare, threatened and endangered (RET) species of the Kurinjimala Wildlife Sanctuary are *Vanasushava pedata*, *Vernonia heynei*, *Vernonia saligna*, *Impatiens herbicola*, *Impatiens wightiana*, *Vanasushava pedata*, *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Martes gwartkinsii* (Nilgiri marten), *Nilgiri tragushylocrius* (Nilgiri tahr), *Bos gaurus* (gaur), *Rusa unicolor* (sambar deer), *Panthera tigris* (tiger), *Cuonal pinus* (wild dog), *Panthera pardus* (common leopard), *Ficedula nigrorufa* (black-and-orange flycatcher), *Columba elphinstonii* (Nilgiri wood pigeon), *Cyornis pallipes* (white-bellied blue flycatcher), *Eumyiasabli caudata* (Nilgiri flycatcher), *Anthus nilghiriensis* (Nilgiri pipit), *Psittacula columboides* (Malabar parakeet), etc; while endemic species of the Sanctuary are *Barleria involucrata*, *Strobilanthes kunthianus*, *Heracleum sprengeianum* (kattugeerakam), *Pimpinella pulneyensis*, *Anaphalis aristata* (panjichedi), *Anaphalis meeboldii*, *Gynura travancorica* (koppuchedi), *Vernonia bourneana*, *Vernonia heynei*, *Vernonia saligna*, *Impatiens selegans*, *Impatiens uncinata*, *Zehneria maysorensis* (musumusukkanchedi), *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Martes gwartkinsii* (Nilgiri marten), *Nilgiritragus hylocrius* (Nilgiri tahr), *Ficedula nigrorufa* (black-and-orange flycatcher), *Columba elphinstonii* (Nilgiri wood pigeon), *Psittacula columboides* (Malabar parakeet), *Cyornis pallipes* (white-bellied blue flycatcher), *Eumyiasabli caudata* (Nilgiri flycatcher), *Anthus nilghiriensis* (Nilgiri pipit), *Nectarinia minima* (small sunbird), *Bufo melanostictus* (common toad), *Hemiphyllodactylus aurantiacus* (Western Ghat worm gecko), *Kaestlea laterimaculatum* (side spotted ground skink), *Saleaana malayana* (Anaimalai spiny lizard), *Uropeltis ellioti* (Elliot's sheildtail), etc;

AND WHEREAS, the Pambadum Shola National Park is spread over an area of 11.753 square kilometres; the Sanctuary is situated on the eastern portion of the High Ranges of Southern Western Ghats between 10° 7' and 10° 10' N Latitudes and 77° 14' and 77° 17' E Longitudes, between the Kannan Devan Hills and the Palani Hills of Tamil Nadu. Originally, the National Park was notified as Pambadum Shola Reserve No. 55 in 1901, it was declared as National Park in December 2003 as per Notification no. 12875/Fe/2003/F&WLD dated 14th December, 2003 of Kerala Government due to its unique ecological and geographical significance;

AND WHEREAS, the major vegetation of the Pambadum Shola National Park consists mostly of southern subtropical hill forests with shola-grassland system at the higher altitudes; the vegetation comprises of species viz; *Actinodaphne malabaricum*, *Alnus nepalensis*, *Canthium neilgherrense*, *Eleocarpus munronii*, *Eleocarpus recurvatus*, *Cinnamomum macrocarpum*, *Ficus levis*, *Gomphandra coriacea*, *Litsea glabrata*, *Neolitsea cassia*, *Persea macrantha*, *Mastixia arborea*, *Cuculago orchiodes*, *Carex filicina*, *Chenopodium amborossoides*, *Oberonia chandrasekharanii*, *Oberonia thwaitesii*, *Oberonia verticillata*, *Drosera peltata*, *Prunus zylanica*, etc; while major fauna of the Sanctuary are *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Martes gwartkinsii* (Nilgiri marten), *Nilgiritragushylocrius* (NilgiriTahr), *Bos gaurus* (gaur), *Rusa unicolor* (sambar deer), *Paradoxurus jerdoni* (brown palm civet), *Herpestes vitticollis* (stripe necked mongoose), *Macaca radiata* (bonnet macaque), *Muntiacus muntjak* (barking deer), *Ficedula nigrorufa* (black-and-orange flycatcher), *Columba elphinstonii* (Nilgiri wood pigeon), *Psittacula columboides* (Malabar parakeet), *Cyornis spallipes* (white-bellied blue flycatcher), *Troides minos* (southern birdwing), *Graphium sarpedonteredon* (common bluebottle), *Catopsilia pomona pomona* (common

emigrant), *Eurema laeta laeta* (spotless grass yellow), *Colias nilgiriensis* (nilgiri clouded yellow), *Dravidogeco anamallensis* (Anamalai hill gecko), *Saleaana mallayana* (Anamalai spiny lizard), *Ristella travancorica* (Travancore Ristella), etc;

AND WHEREAS, Pambadum Shola National Park is a corridor connecting Kannan Devan Hills and Palani Hills and having a significant population of endemic species with exceptional diversity; some endemic species of the National Park includes *Andrographis neesiana*, *Barleria involucrata*, *Strobilanthes kunthianus*, *Heracleum sprengelianum* (Kattugeerakam), *Pimpinella pulneyensis*, *Anaphalis aristata* (Panjichedi), *Anaphalis meeboldii*, *Gynura travancorica* (Koppuchedi), *Vernonia bourneana*, *Vernonia heynei*, *Vernonia saligna*, *Impatiens elegans*, *Impatiens herbicola*, *Impatiens phoenicea*, *Impatiens uncinata*, *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Martes gwartkinsii* (Nilgiri marten), *Nilgiri tragushylocrius* (Nilgiri Tahr), *Columba elphinstonii* (Nilgiri wood pigeon), *Cyornispallipes* (white-bellied blue flycatcher), *Eumyiasabli caudata* (Nilgiri flycatcher), *Anthus nilghiriensis* (Nilgiri pipit), *Nectarinia minima* (small sunbird), *Bufo melanostictus* (common toad), *Hemiphyllodactylus aurantiacus* (Western Ghat worm gecko), *Kaestlea laterimaculatum* (side spotted ground skink), *Kaestlea palnicum* (palani ground skink), *Saleaana malayana* (Anaimalai spiny lizard), *Uropeltis ellioti* (Elliot's Sheildtail), etc; while rare, threatened and endangered (RET) species of the Pambadum Shola National Park are *Anaphalis travancorica*, *Vernonia peninsularis*, *Vernonia saligna*, *Impatiens elegans*, *Impatiens phoenicea*, *Pimpinella pulneyensis*, *Vanasushava pedata*, *Helichrysum perlanigerum*, *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Martes gwartkinsii* (Nilgiri marten), *Nilgiri tragushylocrius* (Nilgiri Tahr), *Bos gaurus* (gaur), *Rusa unicolor* (sambar deer), *Panthera tigris* (tiger), *Cuon alpines* (wild dog), *Melursus ursinus* (sloth bear), *Panthera pardus* (common leopard), *Ficedula nigrorufa* (black-and-orange flycatcher), *Columba elphinstonii* (Nilgiri wood pigeon), *Cyornis pallipes* (white-bellied blue flycatcher), *Eumyiasabli caudata* (Nilgiri flycatcher), *Anthus nilghiriensis* (Nilgiri pipit), *Psittacula columboides* (Malabar parakeet), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Wildlife Sanctuary and Pambadum Shola National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.0 kilometres around the boundaries of Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Wildlife Sanctuary and Pambadum Shola National Park, in Idukki District in the State of Kerala as the Eravikulam National Park-Chinnar Wildlife Sanctuary- Anamudi Shola National Park-Kurinjimala Wildlife Sanctuary-Pambadum Shola National Park Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 1.0 kilometres around the boundaries of Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Wildlife Sanctuary and Pambadum Shola National Park. The extent of Eco-sensitive Zone at various directions are given below:

Sl No.	Directions	Extents of Eco-sensitive Zone (in kilometres)				
		Eravikulam National Park	Chinnar Wildlife Sanctuary	Anamudi Shola National Park	Kurinjimala Wildlife Sanctuary	Pambadum Shola National Park
(i)	North	0	0	1	0	1
(ii)	North-East	0	0	0	0	0
(iii)	East	0 to 1	0	1	0	0
(iv)	South-East	1	0 to 1	1	0	0
(v)	South	1	1	1	0	0

(vi)	South-West	1	0 to 1	1	-	-
(vii)	West	0	0	1	1	1
(viii)	North West	0	0	1	0	1

- *It was justified that zero extents of Eco-Sensitive Zone in the Northern side of Eravikulam National Park, as this part is contiguous with the Anamalai Tiger Reserve in Tamil Nadu while North-Eastern boundary is contiguous with Chinnar Wildlife Sanctuary. The zero extents at other directions are contiguous with notified reserve of Munnar territorial division.*
- *Zero extents of Eco-Sensitive Zone in north, north-east and east boundary is due to the interstate boundary with Tamil Nadu state and most of this area is protected as Anamalai Tiger Reserve. While, the zero extents of Eco-sensitive Zone in South-east direction is contiguous with Kurinjimala Sanctuary, similarly zero extents at the west and north-west direction are due to contiguous with boundary of Eravikulam National Park.*
- *Zero extent of Eco-Sensitive Zone in north-east direction is due to contiguous with Kurinjimala Sanctuary and adjoining with other Protected Areas of Munnar Wildlife Division.*
- *Zero extents of Eco-sensitive Zone in the Northern, North-East, Eastern and South Eastern side of Kurinjimala sanctuary is due to interstate boundary with Tamil Nadu. While, zero extents of Eco-sensitive Zone in the South and North-west is due to contiguous with other Protected Areas of Munnar Wildlife Division (Pambadum Shola National Park and Anamudi Shola National Park).*
- *Zero extents of Eco-sensitive Zone in the North-eastern, Eastern, South-eastern, and Southern sides of Pambadum Shola National Park are due to contiguous with the interstate boundary with Tamil Nadu or adjoining with other Protected Areas of Munnar Wildlife Division.*

The total area of the Eco-sensitive Zone for Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Wildlife Sanctuary and Pambadum Shola National Park is 102.26 square kilometres. The breakup areas of Eco-sensitive Zones are given below:

Sl No.	Protected Area	Area of Eco-sensitive Zone (square kilometre)
(i)	Eravikulam National Park	33.7
(ii)	Chinnar Wildlife Sanctuary	23.4
(iii)	Anamudi Shola National Park	30.7
(iv)	Kurinjimala Wildlife Sanctuary	9.3
(v)	Pambadum Shola National Park	5.16
(vi)	Total	102.26

- (2) The boundary description of Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Wildlife Sanctuary and Pambadum Shola National Park is appended in **Annexure-I**.
- (3) The boundary description of Eco-sensitive Zone around Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Wildlife Sanctuary and Pambadum Shola National Park is appended in **Annexure-II**.
- (4) The maps of the Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Wildlife Sanctuary and Pambadum Shola National Park demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-III A, Annexure-III B and Annexure-III C**.
- (5) Lists of geo-coordinates of the boundary of Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Wildlife Sanctuary and Pambadum Shola National Park are given in **Annexure-IV**.
- (6) Lists of geo-coordinates of the Eco-sensitive Zone boundary around Eravikulam National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary, Anamudi Shola National Park, Kurinjimala Wildlife Sanctuary and Pambadum Shola National Park are given in **Annexure-V**.

- (7) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-VI**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Kerala State Pollution Control Board; and
 - (xii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

- (14) **Vehicular traffic.**— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**— (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**— The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**— All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.

3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.

13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The District Collector, Idukki	Chairman, ex officio;
(ii)	Member of the Legislative Assembly (MLA), Devikulam	Member;
(iii)	District Panchayat President, Idukki	Member;
(iv)	Representatives of Kerala State Pollution Control Board or Kerala State Electricity Board or Kerala Water Authority or Kerala State Irrigation Department or Kerala State Environment Department	Member;
(v)	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vi)	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Kerala to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vii)	One representative of State Biodiversity Board	Member;
(viii)	The Wildlife Warden, Munnar Wildlife Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure VII.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/64/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF ERAVIKULAM NATIONAL PARK IN THE STATE KERALA

The notification of the National Park mainly follows ridges as the boundary and the description is as follows

North: The boundary commences from the point where the Kannan Devan Hills Produce Village boundary meets the interstate boundary between Kerala and Tamil Nadu at point 5540' (1689m). From that point the boundary runs along the interstate boundary passing through peaks with altitude of 3984' (1214 m), 5011' (1527 m), 5885' (1794 m) and 7388' (2252 m) to Perattumala 7033' (2144 m). Thence turning southeast, the boundary reaches Kumarickal Mala 8275' (2522 m).

East: The boundary follows the Kannan Devan Hill Produce Village boundary along the ridge through Kattumala 8373' (2552m) and then to Perumalmala 7736' (2355 m) till it reaches Thirumudi 5676' (1830 m).

South: The boundary follows the western boundary of Chattamunnar Estate (Thalayar group), northern boundaries of Vaguvarrai and Nyamakad Estate to meet the Kannan Devan Hill Produce Village boundary about 3 Km south west of Rajamala peak 7209' (2197 m).

West: The boundary follows the Kannan Devan Hill Produce Village boundary to Rajamala 7209' (2197 m) and then turning north-east, the boundary reaches Sampamala 7581' (2311 m) and thence to Bhimamala 4719' (1438 m) and from there turns in a north east direction to Kolukkumalai, 7137' (2175 m) and thence proceeds in north direction to the starting point at 5540' (1689 m) passing through Erumamalai, 7496' (2284 m) and Erumapettymalai, 6999' (2133 m).

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF CHINNAR WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE KERALA

North: Starting from cairn No.1 at the trijunction of the boundaries of Coimbatore District, MarayoorPakuthy and Kannan Devan Hills at the North West corner of the Reserve, the line goes in a nearly north easterly direction for about 5643/4 chains along the Chinnar River to cairn No.2 at a State Boundary Survey Stone on the bank of the Chinnar River, thence more or less east- south east for about 2141/4 chains along the above said river to cairn No.3 at the State Boundary Survey Stone on thebank of the river side of that Survey No. for about 11/4 chains to cairn No.4 at its south west corner. (This is also

the Western most point of S.No.251/1/1). Thence, nearly east along the south side of the S. No. 257/1/1 for about 333/4 chains passing cairns No. 5 to 15 to cairn No.16 at its south east corner. Thence nearly south for about 63/4 chains to cairn 17 thence nearly south for about 63/4 chains passing cairn No.18 and crossing the approach road to the P.W.D. camp shed to cairn No.19 at the right bank of the thodu flowing to Chinnar River – then nearly north along that thodu for about 103/4 chains to cairn No.20 at its junction with the Chinnar River (from cairn numbers 16 to 20 the boundary follows the Western, Southern and Eastern Boundaries of the area allowed for the P.W.D. excluding the same from the reserve.) thence nearly east along the Chinnar River for about 71/2 chains to cairn No.21, on its bank; thence nearly south east for about 43/4 chains passing cairn number No.22, 23 to cairn No.24 on the West side of the approach road to the P.W.D. camp shed; thence east by slightly south for about 3/4 chains crossing the above road to cairn No.24A; thence nearly east- south east for 1 chain to cairn No.24B; thence nearly north-north east for 31/2 chains to cairn No.24C, thence east for 3/4 chains to cairn No.24D, thence north for 11/2 chains to cairn No.24E, thence west for 3/4 chains to cairn No.25; thence nearly north west for about 11/4 chains crossing the northern outlet road to cairn No.26 on the right bank of the Chinnar river situated 81 links north west of the State Boundary Survey Stone between distance 438 and 500, (from cairn 21 to 26 the boundary follows the Western, Southern and Eastern boundaries of the area allowed for the Excise Office Cart Stand and tollgate excluding the same from the reserve); thence nearly east along the same river for about 11 chains to cairn No.27 at the Revenue Stone at the North West Corner of Survey 261/1; thence nearly South West along its West side for about 11/4 chains to cairn No.28 at its South West Corner, thence along the West, South and East sides of Survey No. 259/1 for about 63/4 chains passing cairn Nos. 29 to 31 to cairn No.32 at its North East corner; thence nearly East along the Chinnar River for about 721/2 chains to cairn No.34; it is junction of Pambar River with Chinnar River.

East: Thence nearly South- South West along the left bank of the Pambar River for about 43/4 chains to cairn No. 36 situated on the left bank of Athioda stream at its confluence with the Pambar thence nearly South South-East along the Athioda Stream (the boundary between Travancore and Coimbatore District) for about 4511/4 chains to cairn 37 where Athiodai cross the State Boundary for about 1263/4 chains to cairn No.38 at the top of Jambumalai peak at the trijunction of Coimbatore and Madurai Districts and Travancore State (This peak is locally known as ‘ChinnaChambu Malai’).

South and West: Thence nearly south west along the state boundary for about 38 chains to cairn No. 39 at the boundary stone at the north-east corner of survey No. 72/1 of Kothukombu Pakuthy at the trijunction of Keelanthur and Kottakombu Pakuthies of Devikulam Taluk and Palani Taluk of Madurai District (This place is locally known as Vellimalai); thence in the same direction for about 631/2 chains along the boundary between Keelanthur and Kottakombu Pakuthies to cairn No. 40 at “Chenkannimala” thence nearly West South-West along the above Pakuthy boundary for about 531/4 chains passing Velliyangiri hills to cairn No. 41 at the Village Boundary Stone at the trijunction of Kilanthur, Kootakombu and Kanthloor Pakuthies (this place is also known as Vattachola lower); thence nearly North West for about 231/2 chains to cairn No. 42 at a Village Boundary Stone between Kanthloor and Kilanthur Pakuthies, (this place is also known as Vattachola Upper) thence in same direction but more to the West for 30 chains to cairn No. 43 on the right bank of the Vannanthorai Stream ; thence nearly West North West along the right bank of the above stream for about 1091/2 chains to cairn No. 44 (here the stream leaves the boundary)) thence nearly North for about 21/2 chains to cairn No. 45 it has theodolite stone at the South East Corner of Survey No. 300/1 of Kilanthur Pakuthies thence along the East side of the above survey Number for about 9 chains passing cairn No.s 46 and 47 to cairn No. 85 of Vannanthorai Sandal Wood Reserve Block No. 11 at the theodolite stone at the North East Corner of Survey No. 300/1 thence along the Eastern, Northern and Western Boundaries of that reserve to its South West Corner at cairn No. 104 at a theodolite station on the right bank of the KalikilavanOdai, thence nearly South West along the same bank of the said Oda for about 8 chains to its junction with the Vannanthorai River, thence along the right bank of the Vannanthorai River first nearly West North – West and then North-North West for about 1401/2 chains to cairn No. 48 at its junction with the Pambar River thence nearly North along the right bank of Pambar River for about 1071/2 chains to cairn No. 49 thence nearly North West for 21/2 chains crossing the Pambar River to cairn No. 50 on the left bank of Natchimuthu Odai at its confluence with the Pambar River: thence nearly South West along the left bank of the Natchimuthu Odai for about 831/4 chains to cairn No. 51 about 3/4 chains South of the theodolite stone at the South East Corner of Survey No. 256/1; thence nearly North West along the East side of the above Survey Number for 3 chains to cairn No. 52 at theodolite stone at its North East Corner; thence more or less West for its Eastern edge; thence more or less West for about about 7 chains to cairn No. 53 at the first quarter of the 29th mile of the near road on its

Eastern edge; thence crossing the road for 1 chain to cairn No. 54 on its Western edge; thence along the same edge of the road first nearly West South West and then nearly North West for about 392 chains to cairn No. 65 where the Natchimuthu Odai crosses the above road; thence along the left bank of the same Odai for about 61/2 chains to cairn No. 56 on the Southern side of Survey No. 227/2; thence along and Southern side of Survey No. 227/2 and Southern, Eastern and Northern sides of Survey No. 227/1 for about 181/4 chains passing cairn No. 57 to 64 to cairn No. 65 at the North West Corner of Survey No. 227/1 on the left bank of the Natchimuthu Odai for about 483/4 chains to cairn No. 66 at the theodolite stone at the South West Corner of Survey No. 2881/2; thence skirting the Southern Eastern and Northern sides of the above Survey No. for about 261/4 chains passing cairn No. 67 to 75 to cairn No. 76 at the theodolite stone at the North West Corner of the Survey Number on the left bank of the Natchimuthu Odai; thence first nearly North West and then West North -West along the same bank of the above Odai for about 156 chains to cairn No. 77 on the same bank Nandulamalai thence nearly South West for about 160 chains through Sy. No. 286/1/1 of Marayoor Pakuthy passing cairn Nos. 78 to 80 to cairn No. 81 at a boundary stone on the boundary between the Kannan Devan Hills and MarayoorPakuthies to the North of Kumarikalmalai and to the East of Poovarthadam thence nearly North West along the above boundary for about 146 chains passing cairns 82 to 91 (this line crosses the Poovar between cairn Nos. 85 and 86) to cairn No. 1 at the starting point on the Northern Boundary.

C. BOUNDARY DESCRIPTION OF ANAMUDI SHOLA NATIONAL PARK IN THE STATE KERALA

North: Starting from Ottakombumala (hill point 2164) on the south western corner of Tirthalar proposed reserve forests, thence along the southern boundary of the said reserve till it reaches the north eastern corner of Mannavan shola reserve thence along the north eastern boundary of the said reserve up to Madavarimala, thence north east along the southern boundary of Idivara Shola reserve passing along hill points 2153, 2104, 2199, 2132, 2127 (Velligirimala).

East: Starting from hill point at 2127 (Velligirimala) runs along the eastern boundary of Idivara Shola Reserved Forests and Pullaradi Shola Reserved Forest till it the south eastern corner of Pullaradi Shola Reserved Forests adjoining the boundary of Kannan Devan Hills village concession lands.

South: Starting from the south eastern corner of Pullaradi Shola reserved Forests runs more or less south along the southern boundary of Pullaradi Shola Reserved forests, Idivara Shola Reserved Forest and Mannavan Shola reserved Forests adjoining to the Northern Boundary of Kannan Devan Hills Village Concession Lands till it reaches Tirthamala.

West: Starting from Tirthamala runs along eastern boundary of Mannavan Shola Reserved Forests till it reaches hill point 2164, Ottakombumala.

D. BOUNDARY DESCRIPTION OF KURINJIMALA WILDLIFESANCTUARY IN THE STATE KERALA

The boundary descriptions as per the initialnotification dated 6th October 2006 vide GO (MS) No. 36/06/Forest is as follows:

North: Starting from the point on the north of Vellagiri peak (2127 mts) at the boundary of Chinnar Wildlife Sanctuary, the boundary follows east along the south- eastern boundary of Chinnar Wildlife Sanctuary along the Karuvepin Shola and thence runs along the Kottamboor sheet rock to the Point No. 1769 on the Inter – State boundary.

East: Thence the boundary runs south along the Inter – State boundary up to the north – eastern extremity of Pampadum Shola National Park on the Inter– State boundary through the peaks Kolakkattu Malai (2066 m) Para Thumbu (2356 m), Kadavari Kanavai (2219 m), Tulukkanpatti Malai (2461 m), KalladankanavaiMettu (2457 m) and Pattitalaichi (2494 m)

South: From the north – eastern extremity of Pampadum Shola National Park at the Inter – State boundary, the boundary runs west along the northern boundary of Pampadum Shola National Park till it reaches the Munnar – Kovilur road.

West: Thence the boundary runs in an northern direction along the western boundaries of the forest plantations in Block No. 62 of Vattavada Village till it reaches the southern boundary of Block No. 58 of Kottakkamboor Village and from there it runs in a north – western direction along the boundary of Block No. 58 till it reaches the north – eastern boundary of Anamudi Shola National Park and thence running north along the boundary of the Sanctuary and further north till it reaches the starting point on the north of Vellagiri Peak (2127 m) at the boundary of Chinnar Wildlife Sanctuary. Though the boundaries are described as per the first notification, only the northern, eastern and southern boundaries are clearly identifiable. The western boundary which borders the private holdings is not demarcated.

E. BOUNDARY DESCRIPTION OF PAMBADUM SHOLA NATIONAL PARK IN THE STATE KERALA

North: The southern boundary of Pambadum Shola Reserved Forest No.55, starting from a point about 500m towards south from hill point 2162, thence runs more or less south East to hill point 1896 and thence towards East to meet at a point roughly in the middle of hill points 2497 (Pattalachai Malai) and 2531 (Vandaravu Malai) on the interstate boundary.

East: The boundary runs more or less south along the interstate boundary.

South: The boundary runs more or less west along the interstate boundary.

West: The western boundary of Pambadum Shola Reserved Forest No.55 adjoining to the eastern boundary of Chittuvurai Tea estate till it reaches North Eastern corner at the starting point.

ANNEXURE- II


A. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND ERAVIKULAM NATIONAL PARK IN THE STATE KERALA	
North	Northern side of Eravikulam National Park is contiguous with Anamalai Tiger Reserve (ATR) hence, no Eco Sensitive Zone is proposed.
East	The Eco Sensitive Zone of eastern side starts from the point P13 (10°17'24.66"N, 77° 7'27.16"E) where CWS, ENP and Marayoor Sandal Division joins to form a trijunction, thence the boundary of ESZ runs towards south parallel to the boundary of ENP up to P12 (10°16'48.22"N, 77° 7'41.73"E) in MSD's Koodakkad proposed Reserve, then moves to P11 in MSD, from P11 the boundary runs towards east to reach P10 (10°14'5.18"N, 77° 8'24.04"E), a point along the Marayoor-Munnar state Highway near Pallanadu then the ESZ boundary proceeds towards south to reach till P8 (10°12'49.97"N, 77° 7'57.61"E) a point near the Talayar Church, from P8 proceeds south in a straight line through the tea orchards to meet a shola, from the shola thence proceeds through the ridge of the shola to meet a point at upper Vagavurai along the 8 th mile- Vagavurai estate road, then runs along the estate road till P6 at 8 th mile gap (10° 9'3.46"N, 77° 4'58.33"E), thence the ESZ boundary proceeds along the road till 5 th mile, thence to south through the estate to reach P5 (10° 7'58.80"N,77° 2'54.60"E).
South	The southern boundary of the ESZ starts from P5 , thence proceeds towards west direction to meet P4 (10° 8' 33.72" N, 77°1' 20.28" E) , a point near Panthu Mala, thence towards north along Rajamala-Pettimudy road to reach P3 (10° 8' 57.59" E , 77° 0'11.75 " E), a point near the abandoned Rajamala factory, thence towards north west to reach P2 AT Pettimudy (10° 9' 43.60" N, 76° 59' 57.52" E), thence towards north east direction to reach the ENP boundary (P1) (10° 10' 2.03" N, 77° 0' 22.36 " E) where ENP boundary joins with Anamudi notified Reserve.
West	West part of ENP is contiguous with Anamudi RF, hence no Eco Sensitive Zone is proposed.
B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND CHINNAR WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE KERALA	

North	Northern part of Chinnar Wildlife Sanctuary is contiguous with Anamalai Tiger Reserve of Tami Nadu, hence no Eco-Sensitive Zones is proposed.
East	Eastern part of Chinnar Wildlife Sanctuary is contiguous with Anamalai Tiger Reserve of Tamil Nadu, hence no Eco Sensitive Zone proposed.
South	The boundary starts from P13 (10°17'24.66"N, 77° 7'27.16"E) at the trijunction of Eravikulam National Park, Kudakkadu RF in Marayoor Sandal Division and Chinnar Wildlife Sanctuary. Then it proceeds on north eastern direction and reaches at P15 (10°18'8.57"N, 77° 8'56.15"E) at Marayur Sandal Division, thence to south eastern direction to reach P21(10°14'43.87"N,77°13'15.56"E), where the ESZ meets with the ESZ of ASNP.
West	The northern boundary of CWS is contiguous with ENP, hence no ESZ is proposed.
C. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND ANAMUDI SHOLA NATIONAL PARK IN THE STATE KERALA	
North	The northern boundary of the ESZ stars from P 26 (10°12'10.61"N ,77° 9'3.62"E) a point on top of Pamba Mala, thence to eastern direction to reach P24 (10°12'43.66" N ,77°11'58.76"E) near Gokanathapuram. Thence to northern direction to reach P21 where the ESZ joins with the ESZ of CWS.
East	In east, the ESZ starts from P34 (10°12'58.14"N, 77°14'24.64"E) a point where the ESZ of KMS and ASNP meets and from P34 proceeds southwards to reach point P 32 (10° 9'57.13"N,77°13'50.99"E).
South	In south, the boundary starts from P32, then proceeds towards west direction, to meet P 30 (10° 9'40.68"N, 77°10'7.47"E).
West	The western side of the boundary starting from P 30 (10° 9'40.68"N,77°10'7.47"E) then it passing across Ottakombu mala, Theerthamala and reached Kundalathalai mala, thence to north to reach P26 (10°12'10.61"N,77° 9'3.62"E) on top of Pamba mala.
D. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KURINJIMALA WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE KERALA	
North	Northern part of the Kurinjimala Sanctuary is contiguous with Chinnar Wildlife Sanctuary, hence no Eco- sensitive zone is proposed.
East	Eastern part of the Kurinjimala Sanctuary is contiguous with Kodaikanal Division of Tamil Nadu, hence no Eco- sensitive zone is proposed
South	Southern part of the Kurinjimala Sanctuary is contiguous with Pambadum Shola National Park, hence no Eco- sensitive zone is proposed.
West	The boundary starts from P34 (10°12'58.14"N, 77°14'24.64"E) Chilanthiar area. Then boundary moves through P35 (10°12'30.42"N, 77°14'51.83"E), P36 (10°11'47.90"N, 77°15'10.51"E), P37 (10°11'30.23"N, 77°15'42.73"E), P38 (10°10'39.40"N, 77°15'44.86"E) up to P39 (10°10'14.32"N, 77°15'20.89"E) were boundary touches with ESZ of Pambadum Shola National Park.
E. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND PAMBADUM SHOLA NATIONAL PARK IN THE STATE KERALA	
North	The boundary of ESZ starting from P39 (10°10'14.32"N, 77°15'20.89"E) of Kurinjimala Sanctuary, from there it moves along west direction through P40 (10° 9'35.43"N, 77°14'16.80"E).
East	The Eastern part of Pambadum Shola National Park is contiguous with Tamil Nadu. Hence no Eco Sensitive Zone is proposed.

South	The Southern part of Pambadum Shola National Park is contiguous with Tamil Nadu. Hence no Eco Sensitive Zone is proposed
West	From P40 (10.17082 N, 77.2582 E) boundary moves through P41 (10° 9'8.86"N, 77°14'10.07"E), P42 (10° 8'23.21"N, 77°14'9.39"E) and P43 (10° 7'43.47"N, 77°14'10.54"E) along Chittivarai tea estate.


ANNEXURE- IIIA

LOCATION MAP OF INTEGRATED ECO-SENSITIVE ZONE OF ERAVIKULAM NATIONAL PARK, CHINNAR WILDLIFE SANCTUARY, ANAMUDI SHOLA NATIONAL PARK, KURINJIMALA WILDLIFE SANCTUARY AND PAMBADUM SHOLA NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF INTEGRATED ECO-SENSITIVE ZONE OF ERAVIKULAM NATIONAL PARK, CHINNAR WILDLIFE SANCTUARY, ANAMUDI SHOLA NATIONAL PARK, KURINJIMALA WILDLIFE SANCTUARY AND PAMBADUM SHOLA NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF INTEGRATED ECO-SENSITIVE ZONE OF ERAVIKULAM NATIONAL PARK, CHINNAR WILDLIFE SANCTUARY, ANAMUDI SHOLA NATIONAL PARK, KURINJIMALA WILDLIFE SANCTUARY AND PAMBADUM SHOLA NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-IV

**GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ERAVIKULAM NATIONAL PARK,
CHINNAR WILDLIFE SANCTUARY, ANAMUDI SHOLA NATIONAL PARK, KURINJIMALA
WILDLIFE SANCTUARY AND PAMBADUM SHOLA NATIONAL PARK IN THE STATE
KERALA**

Key Point ID	Latitude	Longitude
A. Geo coordinates of Eravikulam National Park		
1	10°18'46.00"N	77° 5'32.90"E
2	10°13'37.38"N	77° 7'58.56"E
3	10° 8'29.02"N	77° 2'29.30"E
4	10°13'15.24"N	77° 0'54.00"E
B. Geo coordinates of Chinnar Wildlife Sanctuary		
5	10°21'3.91"N	77°13'19.58"E
6	10°18'11.33"N	77°14'12.13"E
7	10°15'18.35"N	77°13'13.34"E
8	10°19'42.82"N	77° 8'14.63"E
C. Geo coordinates of Anamudi Shola National Park		
9	10°15'0.15"N	77°14'11.70"E
10	10°12'19.39"N	77°14'11.48"E
11	10°11'16.80"N	77°13'13.34"E
12	10°11'22.28"N	77° 9'23.53"E
D. Geo coordinates of Kurinjimala Sanctuary		
13	10°15'17.44"N	77°15'17.89"E
14	10°13'16.85"N	77°17'35.98"
15	10° 9'33.17"N	77°16'18.55"E
16	10°12'48.20"N	77°15'23.02"E
E. Geo coordinates of Pambadum Shola National Park		
17	10° 9'26.23"N	77°15'44.39"E
18	10° 8'19.13"N	77°16'30.59"E
19	10° 7'20.80"N	77°15'32.01"E
20	10° 8'26.02"N	77°14'46.66"E

ANNEXURE-V

GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND ERAVIKULAM NATIONAL PARK, CHINNAR WILDLIFE SANCTUARY, ANAMUDI SHOLA NATIONAL PARK, KURINJIMALA WILDLIFE SANCTUARY AND PAMBADUM SHOLA NATIONAL PARK IN THE STATE KERALA

SI No.	Key Points ID	Latitude	Longitude
A. Geo coordinates of Eco-sensitive Zone around Eravikulam National Park			
1	p1	10°10'2.03"N	77° 0'22.36"E
2	p2	10° 9'43.60"N	76°59'57.52"E
3	p3	10° 8'57.59"N	77° 1'11.75"E
4	p4	10° 8'33.72"N	77° 1'20.28"E
5	p5	10° 7'58.80"N	77° 2'54.60"E
6	p6	10° 9'3.46"N	77° 4'58.33"E
7	p7	10°11'24.97"N	77° 7'16.68"E
8	p8	10°12'49.97"N	77° 7'57.61"E
9	p9	10°13'18.52"N	77° 8'8.38"E
10	p10	10°14'5.18"N	77° 8'24.04"E
11	p11	10°15'4.57"N	77° 6'36.11"E
12	p12	10°16'48.22"N	77° 7'41.73"E
13	p13	10°17'24.66"N	77° 7'27.16"E
B. Geo coordinates of Eco-sensitive Zone around Chinnar Wildlife Sanctuary			
14	p14	10°17'36.38"N	77° 7'50.70"E
15	p15	10°18'8.57"N	77° 8'56.15"E
16	p16	10°17'28.32"N	77° 9'36.00"E
17	p17	10°17'1.32"N	77° 9'48.02"E
18	p18	10°16'44.08"N	77°10'44.04"E
19	p19	10°15'37.01"N	77°11'8.45"E
20	p20	10°15'26.14"N	77°12'5.94"E
21	p21	10°14'43.87"N	77°13'15.56"E
C. Geo coordinates of Eco-sensitive Zone around Anamudi Shola National Park			
22	p22	10°14'10.39"N	77°12'43.63"E
23	p23	10°13'13.19"N	77°12'9.03"E
24	p24	10°12'43.66"N	77°11'58.76"E
25	p25	10°13'2.32"N	77°10'40.19"E
26	p26	10°12'10.61"N	77° 9'3.62"E
27	p27	10°11'46.79"N	77° 8'54.20"E
28	p28	10°10'59.38"N	77° 9'7.31"E
29	p29	10°10'50.66"N	77° 9'19.05"E
30	p30	10° 9'40.68"N	77°10'7.47"E

31	p31	10°10'44.65"N	77°12'10.01"E
32	p32	10° 9'57.13"N	77°13'50.99"E
33	p33	10°11'21.23"N	77°14'59.86"E
34	p34	10°12'58.14"N	77°14'24.64"E
D. Geo coordinates of Eco-sensitive Zone around Kurinjimala Sanctuary			
35	p35	10°12'30.42"N	77°14'51.83"E
36	p36	10°11'47.90"N	77°15'10.51"E
37	p37	10°11'30.23"N	77°15'42.73"E
38	p38	10°10'39.40"N	77°15'44.86"E
39	p39	10°10'14.32"N	77°15'20.89"E
E. Geo coordinates of Eco-sensitive Zone around Pambadum Shola National Park			
40	p40	10° 9'35.43"N	77°14'16.80"E
41	p41	10° 9'8.86"N	77°14'10.07"E
42	p42	10° 8'23.21"N	77°14'9.39"E
43	p43	10° 7'43.47"N	77°14'10.54"E

ANNEXURE-VI

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF ERAVIKULAM NATIONAL PARK, CHINNAR WILDLIFE SANCTUARY, ANAMUDI SHOLA NATIONAL PARK, KURINJIMALA WILDLIFE SANCTUARY AND PAMBADUM SHOLA NATIONAL PARK IN THE STATE KERALA ALONG WITH GEO-COORDINATES

Taluk: Devikulam

District: Idukki

Sl. No.	VILLAGE	STATUS (Partial/full)	Latitude and Longitude	National park/Sanctuary
1	Kannan Devan Village	Partial	10°13'15.19"N, 77° 7'58.93"E	Eravikulam National Park
2	Marayoor	Partial	10°14'7.21"N, 77° 8'5.92"E	Eravikulam National Park
2	Marayoor	Partial	10°16'58.20"N 77°10'36.85"E	Chinnar Wildlife Sanctuary
3	Kilanthoor	Partial	10°14'57.61"N 77°12'51.15"E	Chinnar Wildlife Sanctuary
4	Kanthalloor	Partial	10°12'50.27"N 77°12'16.70"E	Anamudi Shola National Park
5	Kottakampoor	Partial	10°11'51.04"N 77°14'43.90"E	Anamudi Shola National Park
6	Kilanthoor	Partial	10°13'30.00"N 77°12'38.36"E	Anamudi Shola National Park
7	Kannadevan village	Partial	10°10'50.97"N 77°11'57.97"E	Anamudi Shola National Park

7	Kottakampoor	Partial	10°12'18.25"N 77°15'10.22"E	Kurinjimala Wildlife sanctuary
8	Vattavada	Partial	10°11'5.70"N 77°15'46.01"E	Kurinjimala Wildlife Sanctuary
9	Vattavada	Partial	10° 9'32.75"N 77°14'30.67"E	Pambadum Shola National Park

ANNEXURE–VII**Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.